कामकाजी महिल

वर्ष 5 अंक 2 दिसम्बर, 1992 मूल्य : 2 रु०

देश की एकता व सम्मान की पुनर्स्थापना करें

देश के लिए सबसे शर्मनाक व दुर्भाग्यपूर्ण प्रकरण घट चुका है। 6 दिसम्बर को देश के धर्मनिरपेक्ष लोगों ने सांस रोक कर भाजपा-विश्व हिन्दू परिषद-बजरंग दल की यह घोषणा सुनी कि अयोध्या में कार सेवा होगी व निर्माण कार्य भी होगा। जो नेता वहां यह देखने के लिए गये थे कि उच्चतम न्यायालय के आदेशों का कड़ाई से पालन हो उन्होंने देखा कि कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया, वे पुलिस का घेरा तोड़ कर मस्जिद के गुम्बदों पर चढ़ गए व ढांचे को गिराते हुए नाचे। एक भगवा ध्वज व रामलला की मूर्ति की भी वहां स्थापना कर दी गयी।

इन कट्टरपंथियों के इस कथित 'शानदार' कारनामे के दो ही दिन बाद देश भर में दंगों व आगजनी में मरने वालों की संख्या 700 तक पहुंच गयी। भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी इस घटना को प्रतिक्रिया हुई तथा ब्रिटेन, अरब देश, पाकिस्तान, बंग्लादेश व कई अन्य देशों में भी हत्याएं, मन्दिरों को ध्वस्त करने व भारतीय दूतावासों पर हमलों की घटनायें हुईं।

हालांकि प्रधान मंत्री धार्मिक संगठनों के 6 दिसम्बर के कृत्य के परिणामों से भली-भांति वाकिफ थे लेकिन उन्होंने 7 तारीख तक कोई हस्तक्षेप नहीं किया, जब तक कि बहुत देर हो चुकी थी। कार-सेवकों को पूरा दिन दे दिया गया था कि वे जो चाहें शरारत करें। और उन्होंने जो चाहा वही किया जबकि श्री एल.के. आडवाणी व अन्य भाजपा नेता चुपचाप तमाशा देखते रहे। ये वही नेता थे जिन्होंने दो दिन पहले वादा किया था कि वहां सिर्फ भजन-पूजन होंगे तथा उच्चतम न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन नहीं होगा। मुख्य मंत्री ने भी यह बात दोहरायी थी कि न्यायालय के फैसले का उल्लंघन नहीं होगा तथा वे देखेंगे कि सब ठीक रहे। ये सभी वादे उन्हीं की आंखों के सामने टूट गये। मुख्य मंत्री व प्रधान मंत्री

[शेष पृष्ठ 24 पर]

इस अंक में

सांप्रदायिकता के विरुद्ध लखनऊ में महिलाओं का मार्च	3
पश्चिम बंगाल में महिला उद्यमियों का राज्यवार सम्मेलन	4
बाल श्रम	5
सांप्रदायिक साजिश को रोकें	7
अपर्णा की प्रेरणा सदा हमारे साथ रहेगी	8
नयी आर्थिक नीति—बेरोजगारी, अभाव व शोषण	9
महिलाओं व बच्चों पर कार्यशाला	10
क्रान्ति का पहला दिन—महिला दिवस	11
बीड़ी उद्योग की महिलाओं बेवाट (राजस्थान) में शानदार सम्मेलन	14
सीटू की असम राज्य कमेटी का सम्मेलन महिला प्रतिनिधियों ने अपनी समस्याएं उठायीं	15
भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय महिला व बाल कल्याण विभाग	16
वस्त्र उद्योग में महिलाएं	17
मनमोहनवाद देश को कर्ज जाल में धकेल रहा है	19
महिला स्वास्थ्यकर्मी : भुखमरी के कगार पर	20
विश्व भर संघर्षरत महिलाओं का अभिनन्दन	20
पांडिचेरी के संघर्ष में जबर्दस्त सफलता	21
जी. आई. सी. महिला उद्यमियों का तीसरा सम्मेलन	21
बिहार-राज्य आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं का विधान सभा के समक्ष प्रदर्शन	22
एल.आई.सी. में महिलाओं के साथ भेद-भाव	23

कवर फोटो—ऊपर : बोट क्लब पर मजदूरों की विशाल रैली

नीचे : रैली में भाग लेने आयी महिलाओं के एक भाग का दृश्य

सीटू के अखिल भारतीय कामकाजी महिला समिति के लिए विमल रणदिवे की ओर से 6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001, (फोन नं० 384071) से सम्पादित और प्रकाशित तथा प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, ए-21, झिलमिल इंडस्ट्रीयल एरिया, शाहदरा, दिल्ली में मुद्रित।

सांप्रदायिकता के विरुद्ध लखनऊ में महिलाओं का मार्च

विमल रणदिवे

5 नवम्बर को हजारों महिलाएं लखनऊ में चारबाग में रेलवे स्टेशन के पास 'सांप्रदायिक सद्भाव व एकता' के परचम तले एकत्र हुई तथा मशहूर व ऐतिहासिक स्थल झंडेवाल पार्क के लिए मार्च किया। गांवों व झुग्गी बस्तियों से आयीं महिलाएं गोद में बच्चों तथा हाथ में सत्तू की पोटली लिए नारे लगा रहीं थीं—'मन्दिर बनाओ पर मस्जिद बचाओ' 'सभी कानून का पालन करें।' जब आम हिन्दू व मुस्लिम दर्शकों की कतारों के बीच से जुलूस आगे बढ़ा तो महिलाओं का मनोबल ऊंचा उठ गया व इस प्रश्न के समाधान के बारे में एकता की भावना उभर कर आयी। जुलूस में आगे चल रही कार पर नारे सजाये गये थे जैसे—'देश तोड़ के मन्दिर बनाना, ऐसे पाप से राम बचाना' अथवा 'जाति-धर्म पर लड़ने नहीं देना, सन् सैंतालीस बनने नहीं देना।' जुलूस में शामिल सभी महिलाओं ने नारों का समर्थन किया।

विश्व हिन्दू परिषद्, आर.एस.एस. व उनकी धर्म संसद द्वारा किसी भी कीमत पर 6 दिसम्बर से मन्दिर बनाने की धमकी से देश की पूरी धर्म निरपेक्ष जनता की भौंहे तन गयीं। वामपंथी पार्टियों ने इस आह्वान की भर्त्सना करते हुए एक वक्तव्य जारी किया व सबसे बात-चीत के रास्ते व उच्चतम न्यायालय के फैसले का पालन करने का आह्वान किया। सीतामढ़ी में दंगे शुरू हो चुके हैं जहां आम लोग मारे गये हैं। ऐसी स्थिति में लखनऊ (उत्तर प्रदेश) में महिलाओं के इस जुलूस का काफी महत्व है जहां भाजपा का शासन है। जुलूस हिन्दू व मुस्लिम बहुल इलाकों के साथ ही साथ मिश्रित आबादी वाले इलाकों से भी गुजरा जहां भारी संख्या में लोग जुलूस को देख रहे थे। राजधानी लखनऊ में ऐसा जुलूस एक अभूतपूर्व घटना थी। जब लोगों ने ये नारे सुने कि 'हिन्दू या मुस्लिम बच्चे राष्ट्र की सम्पत्ति हैं, धर्म के नाम पर उनकी हत्या नहीं की जा सकती' तो वे हिल गये।

जिन प्रमुख संगठनों ने राज्य में महिलाओं को संगठित किया वे हैं—जनवादी महिला समिति 'आइड्वा' व 'एन.एफ.आई. डब्ल्यू'। तमिलनाडु (3) व कर्नाटक (7) से महिलाओं के कुछ तबकों का जुलूस में शामिल होना हम सब के लिए आश्चर्य का विषय था। दिल्ली 900 महिलाओं को लाकर अपने कोटे से आगे निकल गयी तथा बिहार व राजस्थान से लगभग 50 महिलाएं आयी। मध्य प्रदेश ने 300 महिलाओं को लाने का वायदा किया था जिसे उसने पूरा किया। प. बंगाल ने सैकड़ों की संख्या में भागेदारी की। हिमाचल से 8-10 महिलाएं रैली में आयीं। उत्तर प्रदेश से भी कानपुर, लखनऊ, बाराणसी व अन्य स्थानों से महिलाएं जुलूस में आयी।

का. सरला शर्मा (सांसद) व का. का. सुरजीत कौर द्वारा लगाए गये नारों के बीच रैली आगे चली, जिससे देखने वालों में भी उत्साह उमड़ आया। 'कलाम' व अन्य 'समूहों द्वारा गाये गये गीतों से भी रैली के उत्साह में वृद्धि हुई।

यह विशाल जुलूस 12.30 के लगभग मैदान में पहुंचा। अध्यक्ष मंडल की घोषणा के साथ ही शुरुआत हुई जिसमें सुशीला गोपालन (आइड्वा), तारा रेड्डी (एन. एफ. आई. डब्ल्यू.), ग्रेस जैदी (जे. डब्ल्यू. सी.) तथा सविता बाजपेयी (एम. डी. एस.) शामिल थीं। सुश्री कमला पांडे के स्वागत भाषण के बाद बैठक आरंभ हुई। पहली वक्ता जे. डब्ल्यू. सी. की ज्योत्सना ने कहा कि सांप्रदायिक टकराव का शिकार महिलाएं व बच्चे होंगे व हम चाहते हैं कि सभी धर्मों के लोगों में एकता रहे। एन. एफ. आई. डब्ल्यू. की विमला फारुकी ने कहा कि धर्म के नाम पर महिलाओं, बच्चों व अल्पसंख्यों का दमन किया जाता है। हम दोनों धर्मों के कट्टरपंथियों के प्रति अपना गुस्सा प्रकट करने यहाँ आये हैं। न्यायालय के फैसले को सबको स्वीकार करना चाहिए।

'आइड्वा' की वृंदा करात ने बिल्कुल ठीक ढंग से इस बात का उल्लेख किया कि सांप्रदायिक शक्तियां चाहे वे किसी भी धर्म की हों महिलाओं के हितों की विरोधी ही होती हैं। उन्होंने शाहबानो का उदाहरण दिया। उन्होंने पूछा कि सांप्रदायिक राजनीति में उलझने वाले नेताओं ने क्या कभी 'देवदासी प्रथा' जैसे सामाजिक मुद्दों को उठाया है। उन्होंने भाजपा, विहिप, आर. एस. एस.

व बजरंग दल की मन्दिर बनाने की वर्तमान धमकी की भर्त्सना की। अन्त में उन्होंने इस नारे को दोहराया कि 'मन्दिर बने, मस्जिद रहे, सभी कानून का पालन करें। एम. डी. एस. की सुश्री सविता बाजपेयी धर्म व महिलाओं पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बोलीं।

का. सुरजीत कौर ने जबर्दस्त नारों के बीच कार्यक्रम की घोषणा की जिससे महिलाओं में देशभक्ति की लहर आ गयी।

का. सुभाषिनी ने इन सभी महिला संगठनों को धन्यवाद दिया जिन्होंने बैठक में भाग लिया व रैली को सफल बनाया। उन्होंने महिलाओं को याद दिलाया कि सांप्रदायिक टकराव का शिकार महिलाओं को बनना पड़ता है अतः वे उस मामले पर चुप नहीं रह सकतीं। उन्हें शांति, एकता व सांप्रदायिक सद्भाव के लिए आवाज उठानी होगी।

कैप्टन लक्ष्मी सहगल, अहिल्या रांगनेकर, विमल रणदिवे व श्यामली गुप्ता तथा अन्य नेता भी बैठक व रैली में मौजूद थीं।

पश्चिम बंगाल में महिला उद्यमियों का राज्यवार सम्मेलन

सीटू की पश्चिम बंगाल राज्य समिति के आह्वान 18 नवम्बर, 1992 को श्रमिक भवन में महिला उद्यमियों का सम्मेलन हुआ जिसमें कांग्रेस सरकार की आर्थिक व औद्योगिक नीतियों के खिलाफ संघर्ष करने की अपील की गयी। नेताओं ने हर क्षेत्र में गहरे होते जा रहे संकट के बारे में विचार-विमर्श किया। लोग 25 नवम्बर की रैली में लाखों की संख्या में शामिल होंगे। वाम मोर्चा के चेयरमैन शैलेन दास गुप्ता ने कहा कि वर्तमान राजनैतिक परिस्थिति बेहद गंभीर है तथा जनता के सभी तबके केन्द्र सरकार की वर्तमान नीतियों का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने महिलाओं से इन नीतियों के खिलाफ संगठित होकर आगे आने की अपील की। उन्होंने कहा कि कामगार महिलाओं की कुछ समस्याएं हैं तथा हमें उन्हें संगठित करना है। हालांकि कामगार महिलाओं के बारे में कुछ प्रावधान हैं लेकिन वे लागू नहीं किये जा रहे। सभी श्रम संगठनों व महिलाओं को उसके खिलाफ संघर्ष करना होगा। केन्द्र सरकार की नीतियों का पहला शिकार महिलाएं हैं। जब छंटनी का प्रश्न उठता है तो सबसे पहले महिलाओं की छंटनी होती है। का. शैलेन दास गुप्ता ने कहा कि महिलाओं ने अनेक जुझारु संघर्षों, जैसे रेल संघर्ष व पश्चिम बंगाल में अर्ध-फासीवादी आतंक के खिलाफ संघर्ष में भाग लिया है। लेकिन उन्हें नेतृत्व में नहीं लाया गया है जैसा कि होना चाहिए। दोनों हड़तालों में महिलाओं की भागेदारी काफी अच्छी रही। 25 नवम्बर की आगामी रैली में भी महिलाओं की भागेदारी अच्छी रहेगी।

महिला कामगारों के पश्चिम बंगाल सम्मेलन का अभिनन्दन करते हुए महिला उद्यमियों की अखिल भारतीय समन्वय समिति की सचिव कॉ. विमल रणदिवे ने कहा कि महिला उद्यमी घोषित मजदूर वर्ग का एक हिस्सा हैं। आजकल असंगठित क्षेत्र में अधिक महिलाएं कार्यरत हैं। सीटू तथा इस सम्मेलन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं को संगठित किया जाये व उनकी समस्याओं को उठाया जाये। सीटू के नेता कॉ. समर मुखर्जी ने कहा कि महिलाओं की भागेदारी के बिना कोई मजदूर आन्दोलन शक्तिशाली नहीं हो सकता। कामगार महिलाओं से संबंधित मुद्दों को संसद में उठाये जाने के बावजूद सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा। अतः हमें उनको जागरुक ढंग से संगठित करना होगा।

पश्चिम बंगाल सीटू के महासचिव कॉ. चित्तब्रत मजूमदार ने कहा कि पूंजीवाद के अन्तर्गत हमेशा महिलाओं का शोषण होता है तथा समाजवाद के अंतर्गत नौकरियों में उनका प्रतिशत अधिक होगा व उनकी कार्य-स्थितियां भी बेहतर होंगी।

इनके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल सीटू के अध्यक्ष कॉ. निरेन घोष, पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री कॉ. शान्ति घटक, आइड्वा नेता कॉ. कनक मुखर्जी, कॉ. शिवाजी सेनगुप्ता, कॉ. गंगम्मा व अन्य नेताओं ने भी सम्मेलन का अभिनंदन किया। कामगार महिलाओं की एक राज्य समिति बनाई गई जिसकी संयोजक कॉ. आरती दास गुप्ता होंगी। (गणशक्ति से)

बाल श्रम

—विमल रणदिवे

अमीर लोगों के शानदार बंगलों के 'ड्राइंग रूम' कीमती कालीन से सुसज्जित हैं। वे बाजार में अविश्वसनीय कीमतों पर बिकते हैं व बेहद ऊंची दरों पर विदेशों को निर्यात किये जाते हैं। इससे भारत सरकार बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा कमाती है। लेकिन इन शानदारों कालीनों को बुनता कौन है ? "ये शानदार, खूबसूरत, कलात्मक और सस्ते कालीन मिर्जापुर, बदरोई, कश्मीर, आगरा व जयपुर क्षेत्र के लाखों बाल श्रमिकों के खून व नाजुक हड्डियों से बुने जाते हैं। अकेले मिर्जापुर क्षेत्र में 1,50,000 बच्चे इस उद्योग में संलग्न हैं जिनमें से ज्यादातर बंधुआ मजदूरों के रूप में कार्य कर रहे हैं। इनमें से अधिकतर बच्चे बिहार व मध्य प्रदेश से आये हुए अप्रवासी हैं जो अनेक प्रकार के शोषण का शिकार हैं। वे जिन परिस्थितियों में रह रहे हैं वे भयानक हैं। वे झोपड़ियों में रहते हैं, 14 से 16 घण्टे काम करते हैं और कुपोषण के शिकार हैं। उन्हें दिन में दो बार दाल-चावल खाने को मिलता है।

कालीन उद्योग—नियोक्ताओं के लाभ का साधन

कालीन निर्माण केन्द्रों से जो खबरें आयीं वे हिला देने वाली हैं। इन 8-10 साल के बच्चों को सुबह-सुबह काम पर बिठा दिया जाता है और यदि वे काम का कोटा पूरा न करें तो उन्हें निर्ममता से पीटा जाता है। उन्हें पेड़ों से उलटा लटका दिया जाता है। पत्थरों से मारा जाता है व सिगरेट से जलाया जाता है। यही नहीं, लड़कियों को सामूहिक बलात्कार का शिकार बनाया जाता है।

दक्षिण एशियाई देशों जैसे भारत, पाकिस्तान, नेपाल, आदि को इन खूबसूरत कम्बलों का वार्षिक 1500/- करोड़ रु. तक का निर्यात होता है। उद्योग में किये गये ज्यादातर अध्ययनों से पता चला है कि 85 प्रतिशत बुनकर 14 वर्ष से कम के बच्चे हैं। आंकड़ों के अनुसार कालीन उद्योग में लगे बच्चों की संख्या पाकिस्तान में 5 लाख, भारत में लगभग 4 लाख व नेपाल में लगभग 1 लाख है।

11 जुलाई को हुई प्रथम दक्षिण एशियाई बैठक में कालीन उद्योग की कार्यस्थितियों, बड़े पैमाने पर होने वाले निर्यात व सरकारों द्वारा कमायी जा रही भारी विदेशी मुद्रा के बारे में अनेक तथ्य सामने आये हैं। उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायधीश न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती ने सम्मेलन का उद्घाटन किया।

कालीनों की कीमत में तथा उद्योगों में कार्यरत बच्चों की कार्यस्थितियों का स्पष्ट अन्तर सामने आया।

बीड़ी उद्योग में ये स्थिति बेहतर नहीं है

और बीड़ी उद्योग में क्या स्थिति है ? बीड़ी उद्योग में अब ऐसी बहुत कम फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ पुरुष व महिलायें साथ-साथ काम कर रहे हैं। अब अधिकतर बीड़ियाँ घरों में बनायी जाती हैं। मालिक अपने ठेकेदारों के माध्यम से परिवारों को तम्बाकू व पत्ते देते हैं व परिवार जिनमें बच्चे भी शामिल होते हैं, इनसे बीड़ियां बनाते हैं। परिवार के सदस्य सुबह से शाम तक लगातार बीड़ियां बनाते हैं तथा उसकी गंध का शिकार बनते हैं। 8 से 10 वर्ष के बच्चे, खासकर लड़कियाँ इस काम में लगायी जाती हैं। ठेकेदार व बिचौलिये इन मजदूरों को हर तरह से ठगते हैं। महिलाओं व पुरुषों के लिए समान वेतन की कोई व्यवस्था नहीं है। नियम होने के बावजूद, इन लोगों को कोई परिचय पत्र नहीं दिये जाते। तिरुनलवेली की जिला बीड़ी मजदूर यूनियन ने इस संबंध में उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की व उच्चतम न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय देते हुए बीड़ी उद्योग में बच्चों को काम पर रखने पर तुरन्त रोक लगा दी। न्यायालय ने यह भी कहा कि तम्बाकू उद्योग में बच्चों को नियोजित करना तुरन्त अथवा चरणबद्ध तरीके से (पर तीन वर्ष से अधिक में नहीं) बन्द होना चाहिये तथा बाल श्रम निरोधक कानून का कड़ाई से पालन होना चाहिये। मजदूरों को लूटने की बीड़ी मालिकों की इजारेदारी पर

और भी कई प्रतिबंध लगाये गये। नवम्बर, 1991 में यह फैसला दिया गया व उच्चतम न्यायालय ने यह आशा कि इस पर पूरी तरह से अमल किया जायेगा व तीन वर्ष के अन्दर यह पूरी तरह लागू हो जायेगा। जिस तरह से फैसलों और सरकारी कानूनों पर अमल होता है उसे देखकर संदेह होता है कि इनका कार्यान्वियन होगा भी या नहीं।

शिवकाशी फैक्ट्री में हादसा

सबसे खतरनाक क्षेत्र जिसमें बाल श्रमिकों को नियोजित किया जाता है वह है शिवकाशी आतिशबाजी उद्योग। कुछ वर्ष पहले यहाँ हुए हादसे और उसमें बड़ी संख्या में बच्चों के मरने की घटना सबको याद होगी। वह त्रासदी अभी हमारे मस्तिष्कों में ताजी बनी हुई है जिसमें सैकड़ों महिलाएं व बच्चे मारे गये थे। मजदूर वर्ग के छोटे बच्चों को सुबह-सवेरे तरह-तरह की अतिशबाजी बनाने के काम में लगा दिया जाता है। बच्चे उसी गोदाम में काम करते हैं जहाँ खतरनाक रसायन आदि रखे होते हैं। 12.7.91 को मदुरई में एक और फैक्ट्री में आग लग गयी जिसमें 37 बच्चों की मृत्यु हो गयी। कुल मरने वालों की संख्या 70 थी। शेष मरने वालीं महिलायें थीं। यह आग बुझाने में चार घण्टे लगे।

ऐसे कार्यस्थलों पर बच्चों की सुरक्षा के बारे में शिवकाशी पर 31 अक्टूबर, 1990 को उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये फैसले का उल्लंघन हो रहा है। वरिष्ठ वकीलों की एक समिति ने बताया कि नियोक्ता नियोजित बच्चों की सही संख्या बताने में असफल रहेंगे तथा इस बारे में कोई लेखा-जोखा नहीं था। उच्चतम न्यायालय के आदेशों के बावजूद बच्चों से खतरनाक विभाग में काम कराया जा रहा है। समिति ने यह भी पाया कि घर से जल्दी काम पर आ जाने वाले बच्चों को उचित भोजन प्रदान करने के उच्चतम न्यायालय के आदेश की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इन बच्चों को भूखा रखा जाता है। समिति ने सुझाव दिया कि तमिलनाडु की दोपहर के भोजन की योजना इन पर भी लागू होनी चाहिये।

बाल श्रम, व विशेष रूप से बालिका श्रमिकों के मुद्दे को अनेक महिला संगठनों, संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन व अन्य स्वयंसेवी संगठनों द्वारा उठाया गया है। बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों में लड़कियों की संख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि उन्हें घर के काम की देखभाल करनी होती है। बच्चों व दबे-कुचले वर्ग की स्थिति अत्यन्त दयनीय है। ये बच्चे भोजन के लिए भीख मांगने पर मजबूर होते हैं। जब कोई इन बच्चों को कूड़े के ढेर में खाने की चीजें तलाशते हुए देखता है, तो वह भी उदास हो जाता है। इन बच्चों ने इस देश का नागरिक होने का सम्मान खो दिया है। उनकी देखभाल कौन करेगा? अभिभावकों के पास कोई रोजगार नहीं है। कुछ बच्चों को ऊंट दौड़ के लिए अरब देशों को बेच दिया जाता है। बच्चों को ऊंटों की पीठ पर बांध कर ऊंटों को तेज दौड़ाने का विचार ही भयावह है। इस दौड़ के दौरान बच्चा मर भी सकता है। मां-बाप बच्चे को गरीबी के कारण ही बेचते हैं। कुछ बच्चों को एजेंटों को चोरी जैसे गलत कामों पर मजबूर किया जाता है।

यह सच है कि महिला संगठनों व अनेक स्वयंसेवी संगठनों ने बाल-श्रमिकों के मुद्दे को उठाया है। उन्होंने इस प्रश्न में विशेष रुचि दिखाई तथा अपनी बैठकों में बच्चों को बन्धक व खतरनाक परिस्थितियों से दूर रखने पर विशेष जोर दिया।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक ऐसा संगठन है जो सतत रूप से बाल-श्रम के विरूद्ध संघर्ष करता है। बाल-श्रमिकों के बारे में संगठन के अनेक सम्मेलन हैं—सम्मेलन सं. 5 (1973 में सं. 138 के रूप में संशोधित) (कृषि कार्य के बारे में), स. सं. 10 (सं. सं. 138 के रूप में संशोधित व स. सं. 33 (1973 में सं सं. 138 के रूप में संशोधित)

भारत में सर्वाधिक बाल-श्रमिक

भारत में बाल-श्रमिकों की संख्या 20-30 मिलियन तक है। रिपोर्टों के मुताबिक सर्वाधिक बाल-श्रमिक कृषि क्षेत्र में हैं। विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत बाल-श्रमिकों की संख्या के बारे में आंकड़े जमा करना बेहद मुश्किल है। कारण यह है कि जैसे ही फैक्ट्री इंस्पेक्टर आता है बच्चे भाग जाते हैं। उनकी उम्र निर्धारित न्यूनतम आयु से कम है। 1979 में सरकार द्वारा प्रदान किये गये आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक बाल श्रमिक आंध्र प्रदेश में (6,77974) तथा उसके बाद मध्य प्रदेश में (4,75,990) हैं।

वर्तमान कानून-कमियाँ

यह एक सच्चाई है कि सरकार द्वारा बनाये गये कानून इन बाल-श्रमिकों को सुरक्षा देने में असमर्थ हैं। कानूनी स्तरों पर उन्हें कोई भी सुरक्षा प्रदान की जाये लेकिन व्यवहार में उसका कड़ाई से पालन लोगों के खराब आर्थिक स्तर के कारण नहीं हो पाता है। गरीब परिवारों को मदद की जरूरत होती है और बच्चे जो कमाते हैं उसके शायद परिवार अपना अस्तित्व कायम न रख सके। बाल-श्रम के बारे में प्रावधान है जो केवल फैक्ट्रियों पर लागू होता है। कृषि क्षेत्र में कार्यरत बच्चों के लिये कोई प्रावधान नहीं है। अनुपालन में कमियां हैं और नियोक्ता इसमें सहयोग नहीं देते। प्रावधानों में भी कई कमियाँ हैं। श्रम ब्यूरो ने इन कमियों का पता लगाया है।

आई. एल. ओ. सम्मेलन

जहां तक बाल श्रम का संबंध है, इस बारे में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अब तक 18 सिफारिशें पारित की हैं। इनमें से 15 वर्ष की उम्र की सिफारिश को भारत ने भी स्वीकार किया है लेकिन यह देश में लागू नहीं हो रहा है।

हमारे देश की खराब होती आर्थिक स्थितियां, आम आदमी की गरीबी, मूल्य वृद्धि आदि के कारण भविष्य में बाल श्रमिक और ज्यादा होंगे। यह सस्ता भी है, और बिना काम के बच्चे भी जीवित नहीं रह सकते। सरकार जो कम से कम, कदम उठा सकती है वह यह है कि उनके काम के घण्टे कम कर दे, कार्य स्थितियों में सुधार करे, भोजन, शिक्षा की व्यवस्था करे व खतरनाक काम से दूर रखे। कालीन उद्योग की कार्यस्थितियों से देश में बाल-श्रम की शर्मनाक तस्वीर सामने आयी है। शिवकाशी ने देश भर से उनकी मदद के लिए अपील की है। यदि जनता व स्वयं सेवी संगठन इन बच्चों की मदद करें व सरकार को इन बच्चों को खतरनाक परिस्थितियों से निकालने में मदद करें व उन्हें देश का सम्माननीय नागरिक बनने में मदद दें तो यह एक महान कार्य होगा। वर्तमान परिस्थितियों में इन अभागे बच्चों का कोई भविष्य नहीं है। कम से कम कांग्रेसी शासन में तो कोई उम्मीद नहीं है।

सांप्रदायिक साजिश को रोकें

सरिता सिन्हा, सुधा बिंदु मिश्रा

दिनांक 13.10.92 को अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति बिहार की सचिव सुधा बिन्दु मिश्रा एवं अखिल भारतीय कामकाजी महिला समन्वय समिति बिहार की संयोजक सरिता सिन्हा ने सीतामढ़ी (रीगा) के पनछोर, गणेशपुर, बखरी, चण्डीहा आदि दंगाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया। दौरे के क्रम में ग्रामीण महिलाओं ने काफी सहयोग किया एवं महिलाओं के साथ अन्य लोगों से भी पूछताछ के क्रम में ज्ञात हुआ कि पनछोर गांव में जो चण्डीहा से सटा हुआ है, दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के क्रम में अंजिम अंसारी की सिलाई मशीन की पौदान टूटने से दर्जी के द्वारा गाली-गलौज करने के क्रम में तनाव बढ़ गया। लगभग दो हजार दूसरे गांव के व्यक्तियों द्वारा जिसमें स्थानीय दो-चार लोगों के अलावा भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा दंगों के लिए उकसाया गया और हमला कर लूट-पाट और आगजनी एवं हत्या की। लूट-पाट और आगजनी में कुछ हिन्दुओं की दुकानें भी लूटी गयीं और घर जलाए गये थे। पनछोर आदि गांवों के लोगों ने बताया कि बहुत सारे हिन्दुओं ने मुसलमानों को अपने घरों में छिपाया, जान बचायी। उक्त गांवों में कभी भी साम्प्रदायिक दुर्भावना या तनाव नहीं था, न रहेगा। दोनों साम्प्रदायों में भाई-चारा था और रहेगा। हम लोगों ने ऐसा महसूस किया कि अगर सरकार ऐसे मौके पर सतर्क रहती तो इस भीषण अमानवीय घटना को रोका जा सकता था।

हम लोगों ने देखा कि दोनों सम्प्रदायों के लोग बाहरी आक्रमण से आतंकित थे। वे डर के मारे कुछ आक्रमणकारियों का नाम जानते हुए भी बताना नहीं चाहते थे लेकिन उनका मानना था कि कुछ असामाजिक एवं सम्प्रदायिक तत्वों के द्वारा उन लोगों पर कहर ढाया गया है।

भ्रमण के दौरान यह भी पता चला कि सरकारी राहत की कभी ही नहीं है बल्कि वितरण में बहुत गड़बड़ी हो रही है। जैसे—5 किलोग्राम पर हस्ताक्षर कराकर 2 किलोग्राम देना, मिट्टी का तेल, साबुन, दूध, जलावन आदि का काफी अभाव पाया गया। समिति के सदस्यों ने

[शेष पृष्ठ 8 पर]

अपर्णा की प्रेरणा सदा हमारे साथ रहेगी

विमल रणदिवे

का० अपर्णा पॉल चौधरी अब हमारे बीच नहीं हैं। उनसे मेरी पहचान 1967 में कलकत्ता में हुई जो बाद में मित्रता में बदल गयी। जब हमारी पार्टी का दफ्तर लेक प्लेस में था तब उनका घर हमारे दफ्तर के पास था। का. पॉल चौधरी केन्द्रीय कार्यालय में कार्यरत थीं। वे अक्सर हमारे पास आती थीं और मैं भी प्रायः उनके घर जाया करती थी। बहुत जल्द ही हम मित्र और अच्छे साथी बन गये। मैंने बंगाली सीख ली थी और उनके साथ टूटी-फूटी बंगाली बोलने का अभ्यास किया करती थी। जब मैं शर्म महसूस करती तो वह मुझे प्रोत्साहित करती थीं। का. अपर्णा पार्टी के प्रति इस हद तक प्रतिबद्ध थीं कि वह अपने गिरते हुए स्वास्थ्य के बावजूद पार्टी की किसी बैठक में अनुपस्थित नहीं रहती थीं। मैं अभी तक नहीं समझ पाती कि वह इतनी दूर अपने घर से टालीगंज रोज सुबह-शाम कैसे जाती थीं जबकि रास्ते में इतनी भीड़ होती थी। मैं बम्बई से 'होलटाइमरशिप' छोड़ कर कलकत्ता रहने आयी थीं। मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं पार्टी की गतिविधियों में भी ज्यादा घुल-मिल नहीं पाती थीं लेकिन का. अपर्णा इस कमी को दूर करती थीं। वह बैठकों में मेरे पास बैठतीं और बातचीत को अनुवाद करके समझाती जातीं। मैंने कलकत्ता शहर ठीक से देखा नहीं था और वह मुझे महिलाओं की बैठकों में लेकर जाती थी।

मैं उनके बारे में यही जानती थी कि वे पार्टी व महिला समिति का काम किसी भी समय, किसी भी कीमत पर करेंगी, हालांकि उनके ऊपर पहले ही उनके अध्यापन के व्यवसाय का बोझ था। हालांकि उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा था लेकिन माकपा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का कोई मुकाबला नहीं था।

वे मुझसे कलकत्ता में तीन वर्ष पहले का. बी. टी. आर. की मृत्यु के बाद मिलीं। हम दोनों एक साथ रोयीं। वे अच्छी तरह जानती थीं कि इससे पार्टी को कितना नुकसान हुआ है।

बाद में जब मुझे पता चला कि वे बहुत बीमार हैं तो मैं उन्हें देखने गयी। का. पॉल चौधरी की अचानक हुई मृत्यु से उन्हें और भी धक्का पहुंचा। हमारा सीटू का सम्मेलन चल रहा था। मैं और का. अहिल्या एक कार में बैठे और गली में मुड़ ही रहे थे कि हमने का. अपर्णा को बीच रास्ते में सड़क पार करते हुए देखा। मैं कार से तुरन्त उतरी क्योंकि मैं जानती थी कि वे अपने आपे में नहीं हैं और कोई दुर्घटना हो सकती है। हम सड़क पर ही मिले। मैंने उन्हें सड़क पार करायी उनके घर पहुंचे। उनका स्वास्थ्य बहुत गिर चुका था। उनका मनोबल वैसा ही था। वे मुझसे और अहिल्या से मिलकर खुश थीं। उन्होंने सीटू सम्मेलन में शामिल होने में असमर्थता जताई। मैंने कहा कि वे चिन्ता न करें। लेकिन उनके पुराने उत्साह को याद करके मेरे मन में दया उमड़ आयी और उनके रोज-रोज गिरते स्वास्थ्य को देखकर बहुत बुरा लगा। उनके मन में स्वास्थ्य और ज्यादा जीवित रहने के लिए ज्यादा उत्साह नहीं रह गया था। पार्टी अथवा किसी जन संगठन में काम न कर पाने का उनका दुख स्पष्ट दिखाई देता था।

उनके निधन से 'एक साथ' की टीम को खासकर का. कनक मुखर्जी को बहुत दुख पहुंचा क्योंकि उसके जन्म के समय से ही संपादन व लेखन से सक्रिय रूप से जुड़ी थीं। उनका मधुर स्वभाव व सहयोगी चरित्र सदा हमारी यादों में बसा रहेगा।

(पृष्ठ 7 का शेष)

महसूस किया कि वहां उपरोक्त आवश्यक वस्तुओं के साथ कुपोषण से निबटने के लिए आवश्यक विटामिन आदि दवाएं एवं उचित प्रतिरक्षण की भी व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही उपरोक्त विवरण में जन-संगठनों के प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित करना चाहिए।

उक्त दोनों समितियां सरकार एवं आम लोगों से अपील करती है कि साम्प्रदायिक साजिश से उत्पन्न परिस्थिति के कुप्रभाव आम लोगों के साथ खासकर महिलाओं को एवं पूरे देश को बहुत अधिक कुप्रभावित करती है इस लिए हम सबको इस साजिश के खिलाफ संघर्ष में जुड़ना है।

नयी आर्थिक नीति–बेराजगारी, अभाव व शोषण की आशंका

"बेरोजगारी, अभावों और शोषण की गंभीर स्थिति नयी आर्थिक नीति का एकमात्र परिणाम होगी।"—यह चेतावनी सामाजिक शोध संस्थान द्वारा 6-7 अक्टूबर को नई दिल्ली में आयोजित दो दिन के सम्मेलन में दी गयी। सम्मेलन का विषय था—"लिंगभेद की राजनीति और विकास' इसके अलावा सम्मेलन में 'नयी आर्थिक नीति का महिला रोजगार पर प्रभाव', 'आवासीय अधिकार', 'खाद्य सामग्री का वितरण' आदि मुद्दों पर भी विचार किया गया।

सम्मेलन में भाग लेते हुए सुभाषिनी अली ने कहा कि आज महिलाओं को 'खाद्य सामग्री की उपलब्धता' जैसे मूलभूत मुद्दों पर ढांचागत समायोजन के प्रभाव के बारे में चिन्तित होना चाहिए। मुद्रास्फीति से बढ़ी कीमतें, जन वितरण प्रणाली के टूटने व रोजगार की गारंटी समाप्त होने के तिहरे बोझ से गरीब व मध्यम वर्ग के अस्तित्व को संकट पैदा हो गया है।

श्रीमती नजमा हेपतुल्ला ने 6-10-92 को सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि लिंगभेद के बारे में आज पहले से अधिक जागरूकता पैदा हो गयी है। लेकिन अन्य वक्ताओं ने कहा कि लिंगभेद के बारे में जागरूक होने भर से समस्या नहीं सुलझेगी जब तक कि महिलाओं को अधिक अवसर प्रदान नहीं किये जाते।

डा. सी.पी. सुजाया ने चेतावनी दी कि आठवीं योजना के मसौदे में रोजगार का कोई जिक्र नहीं किया गया है व इससे यह समझना मुश्किल है कि रोजगार पैदा करने के लिए कितने कार्यक्रम चलाये जायेंगे। 'ग्रामीण विकास' से ग्रामीण गरीब वर्ग को कुछ रोजगार अवसर मिल सकते हैं लेकिन योजना के मसौदे में इसको भी कोई खास महत्व नहीं दिया गया है।

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के डा. अरुण कुमार ने देश के भविष्य की गंभीर तस्वीर पेश की। उन्होंने उन नीतियों की आलोचना की जो 'धन शक्ति' के लिए बेशुमार तर्क देती हैं लेकिन वंचित वर्ग के बारे में कोई चिन्ता नहीं दिखातीं। इस विचार को गलत ढंग से रखा जा रहा है कि बाजार की शक्तियां सामाजिक समस्याओं को सुलझा सकती हैं। यदि बाजार की शक्तियों का एकछत्र राज्य हो गया तो जनता असहाय हो जायेगी। इन नीतियों का 'इक्विटी' से कुछ संबंध नहीं है बल्कि वे बाजारीकरण व अर्थव्यवस्था के अंतर्राष्ट्रीयकरण का आधार तैयार कर कर रही हैं। लाइसेंस प्रणाली समाप्त करने से बड़े उद्योगों को अपने बाजार का विस्तार करने की आजादी मिल जाएगी और इससे लघु उद्योग बर्बाद हो जाएंगे व बड़ी संख्या में महिलाएं व बच्चे बेरोजगार हो जाएंगे। कपड़ा, चमड़ा, मछली-पालन व अन्य उद्योगों में कार्यरत लोगों का जीवन-यापन खतरे में पड़ जायेगा। चूंकि बड़े उद्योग अधिक मशीनीकृत हैं अतः वे कम रोजगारोन्मुख हैं। दिसम्बर, 1991 के डंकल सुझावों की शर्तें देश के सामने एक गंभीर चुनौती उत्पन्न करती हैं। उन्होंने इसे पश्चिमी शर्तों पर अंतर्राष्ट्रीयकरण बताया।

प्रमिला दंडवते ने महिलाओं के संघर्ष में पुरुष व महिला संगठनों को शामिल करने पर जोर दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि पुरुषों में राजनीति में महिलाओं के साथ साथ शक्ति की भागेदारी के प्रश्न पर असंतोष बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि राजनीति का अपराधीकरण रोकने के लिए बड़ी संख्या में महिलाओं को राजनीति में आना होगा।

अन्य वक्ताओं में वृंदा करात, रूथ मनोरमा व डा. सुशीला कौशिक शामिल थीं। बाद में गोलमेज विचार-विमर्श में एक महिला सामाजिक कार्यकर्त्ता के साथ सामूहिक बलात्कार के मामले में राजस्थान सरकार की उदासीनता के खिलाफ प्रस्ताव किया गया। यह महिला समाजसेवी बाल-विवाह के खिलाफ प्रचार कर रही थी। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा मामले की जांच कराने की भी मांग की गयी।

महिलाओं व बच्चों पर कार्यशाला

पूनम हजेला

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वर्कर्ज एशूकेशन, बम्बई ने 24 से 28 अगस्त, 1992 को कुर्ला (बम्बई) में केन्द्रीय श्रम संगठनों के कार्यकर्त्ताओं के लिए महिलाओं व बाल श्रम पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। केंद्रीय श्रम संगठनों के अधिकतर प्रतिनिधियों ने प्रशिक्षण कक्षाओं में भाग लिया व महिलाओं, कामगार महिलाओं व बाल-कल्याण से संबंधित विषयों पर हुए विचार-विमर्श से लाभान्वित हुए। सीटू की ओर से बी.एच.ई.एल. की सहसचिव सुश्री पूनम हजेला व मान्यता सरोज ने उत्साह-पूर्वक सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया। उद्घाटन सत्र में आई.आई.डब्ल्यू.ई. के उपनिदेशक श्री थॉम्बरे ने सीटू के प्रतिनिधियों का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए उनका स्वागत किया। एटक, सीटू, एच.एम.एस., बी.एम.एस., एन.एफ.आई.टी.यू., आई.सी.एल. व इंटक के कुल 21 प्रतिनिधियों से कहा गया कि महिलाओं को संगठित करने की आवश्यकता, जहां श्रम संगठन महिलाओं के बीच काम कर रहे हैं वहां उनके सामने आने वाली समस्याएं तथा कामगार महिलाओं व बच्चों की समस्याओं के बारे में अपने अपने अनुभव बतायें। श्री थॉम्बरे ने केरल में पुरुषों व महिलाओं की साक्षारता के लिए किये गये शानदार काम का उल्लेख किया व अन्य राज्यों से अपील की कि वे भी इस कार्यक्रम को गंभीरता से अपनायें।

विचार-विमर्श में हिस्सा लेते हुए पूनम हजेला ने ने हमारे श्रम संगठन व जनवादी महिला समिति द्वारा किये जा रहे काम के बारे में बताया। जब श्री सोन्टैकी ने ट्रेड यूनियन कार्यक्रम के बारे में बोलते हुए श्रम संग-ठनों की अनुपलब्धता के बारे में कहा तो हमारी प्रति-निधि सुश्री हजेला ने इस पर आपत्ति की व कहा कि सीटू का दफ्तर 24 घण्टे खुला रहता है तथा वहां कोई न कोई हमेशा उपलब्ध रहता है। उन्होंने यह भी बताया कि सीटू द्वारा किया जा रहा काम प्रभावशाली काम है। श्रम संगठन व महिलाओं की भागेदारी के प्रश्न पर विचार करने वाले समूह की अध्यक्ष सुश्री गोहल थीं। हमारी दोनों प्रतिनिधियों ने विचार-विमर्श में हिस्सा लिया।

महिलाओं को कानूनी सुविधाएं, नेतृत्व के स्तर पर गुणों तथा बच्चों व मानवाधिकारों के प्रश्न पर भी विचार-विमर्श हुआ। 30 प्रतिशत आरक्षण के मुद्दे पर भी विचार-विमर्श हुआ। कुछ वक्ताओं ने इसका समर्थन किया व कुछ ने विरोध किया। श्री थोम्बरे भी महिलाएं व श्रम तथा बाल श्रम नियंत्रण प्रावधान, 1986 पर बोले।

प्रमुख अतिथि डा. श्रीमती ऊषा नायर व अन्य लोग कार्यक्रम के अन्तिम दिन बोले। सभी श्रम संगठनों के प्रतिनिधियों से भी अपने विचार व्यक्त करने का आग्रह किया गया। सुश्री पूनम ने अपने भाषण में संस्थान को धन्यवाद दिया व कहा कि वीडियो कैसेट दिखाकर इस बारे में कुछ ठोस काम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं से संबंधित पत्रिकाओं को पुस्तकालयों में रखा जाना चाहिए। इस मुद्दे पर संस्थान ने सीटू से अनुरोध किया कि वह अपनी पत्रिकायें भेजें। एक अन्य सुझाव यह था कि विचार-विमर्श हिन्दी में होना चाहिए क्योंकि भाग लेने वाली अधिकतर सदस्याएं हिन्दी बोलती हैं। हमारे प्रतिनिधियों को कार्यक्रम में भाग लेना बेहद महत्वपूर्ण था।

पढ़ें

कामकाजी महिला

(हिन्दी द्विमासिक पत्रिका)

कीमत : एक प्रति : 2 रुपये

वार्षिक चन्दा : 12 रुपये

अपनी प्रतियों के लिए हमें लिखें :

सी आई टी यू 6, ताल कटोरा रोड

नई दिल्ली-110001

क्रान्ति का पहला दिन-महिला दिवस

जैसे-जैसे लड़ाई लम्बी खिचती गयी रूसी मजदूर वर्ग का जीवन कष्टप्रद होता गया। 1916 तक क्षेत्र पेत्रोग्राद में रोटी के लिए महिलाओं की मीलों लम्बी कतारें लग गयीं। सामाजिक असंतोष की इन परिस्थितियों में बोल्शेविकों का हस्तक्षेप व युद्ध का दोष तानाशाओं को देने से जनता में तीव्र प्रतिक्रिया हुई जो कि पहले ही युद्ध से तंग आ चुकी थी। अक्सर फैक्ट्रियों की दीवारों पर बोल्शेविकों का यह नारा लिखा होता था कि 'हमारे आदमियों को वापस लाओ'। बोल्शेविकों की ऐसी घोषणायें भूमिगत समाचार-पत्रों में अथवा दीवारों पर चिपकी मिलती थीं।

युद्ध की इस विपत्ति ने हमारे मजदूर संगठनों को नष्ट कर दिया है। सरकार ने हमारी वर्ग चेतना से परिचित महिलाओं से निर्मम सुलूक किया है। हमारे बच्चे, पति व भाई युद्ध क्षेत्र में कठिन संघर्ष कर रहे हैं व अपनी जान की कीमत देकर विजेता पूंजीवाद के लिए नये बाजार व जमीन हासिल कर रहे हैं।

"अतः क्या यह संभव है कि हम विरोध में आवाज न उठायें। क्या यह संभव है कि सैकड़ों-हजारों माताएं, पत्नियाँ व बहनें केवल चुपचाप आंसू बहाती रहें और अपने पुरुषों के कष्टों को याद कर आहें भरती रहें। नहीं यह नहीं हो सकता। सभी देशों में मजदूर शासन द्वारा अपने शोषण के विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं। हम भी आगे आते हैं और हमारी आवाज यह बता देगी कि हम अपने बच्चों, पतियों और भाइयों की रक्षा करने में सक्षम हैं।

—पित्रिम सोरिकिन, जो कि फरवरी क्रान्ति की एक चश्मदीद गवाह हैं, लिखती हैं :

"यदि भविष्य के इतिहासकार उस गुट की तलाश करें जिसने क्रांति की शुरुआत की तो वे किसी भ्रम में न रहें। रूसी क्रान्ति की शुरुआत रोटी मांगती हुई भूखी महिलाओं व बच्चों ने की।"

—पित्रिम सोरोकिन, रूसी डायरी से

तानाशाही के पतन में गलियों के घटनाक्रम में महिलाओं की भूमिका के महत्व के बारे में सोरिकिन ने सही कहा है, लेकिन यह केवल आधी कहानी है।

पिछले कई माह से सड़कों पर महिलाओं के प्रदर्शन हो रहे थे जो कि स्थानीय गड़बड़ी से अधिक कुछ नहीं थे और जिनका परिणाम कभी-कभी एक-दो दुकानों को लूट लिए जाने से अधिक कुछ नहीं होता था। लेकिन 23 फरवरी, 1917, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का प्रदर्शन कुछ और ही था। ये व्यापक प्रदर्शन थे जिनमें शहर भर के हजारों लोग शामिल हुए और उन्होंने राजनीतिक परचम को उठाते हुए फैक्ट्रियों में काम बन्द कर दिया, रेल रोड कारों को उलट दिया व जब पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उस पर हमले किये।

23 तारीख की दोपहर तक लगभग 90,000 मजदूर हड़ताल में शामिल होकर महिलाओं का अनुसरण कर चुके थे।

शहर के उत्तरी विबोर्ग जिले से आने वाले हड़ताली मजदूरों ने जैसे ही शहर के बीच से अपना जुलूस निकालना आरंभ किया तो रोटी के लिये कतारों में खड़ी हजारों महिलाएं उनमें शामिल हो गयीं जो कि सबेरे से केवल यही सुनने को खड़ी थीं कि दुकान में रोटी नहीं है वे साथ-साथ म्युनिसिपल डूमा की तरफ रोटी की मांग करने गयीं।

बाकी दिन भर में सड़कें लोगों से भर गयीं। यहाँ-वहाँ स्वतः ही अनेक सभाएं हुईं तथा जल्दबाजी में लाल बैनर तैयार करके लोगों ने रोटी, अधिक वेतन व शांति की मांग की। अन्य अनेक कारों के दरवाजों पर लिख दी गयीं : "हमें रोटी दो, और 'काम नहीं तो रोटी नहीं'।

एक महिला कंडक्टर ने याद करते हुए बताया कि एक दिन जब हम शाम को पैसे जमा करने लगे तो हमने कई पुलिस वालों को आस-पास राइफलें लिए हुए देखा। अगले दिन भी वे कंडक्टर-कमरों में घूम रहे थे। पिछले वर्ष की एक सफल कंडक्टर हड़ताल के एक बोल्शेविक नेता लेनोव ने बताया "यह सब हमारे लिये है, हम आज देखते हैं पेत्रोग्राद में 200,000 मजदूर हड़ताल पर हैं।

"हमने म्युनिसिपल कारों में चढ़ने के लिए चलना शुरू ही किया था कि अचानक मजदूरों की एक भीड़ को अपनी ओर आते हुए व चिल्लाते हुए सुना "यार्ड का दरवाजा खोल दो। वे रेलों पर व गोर्नी म्युजियम के पीछे यार्ड में खड़े थे। ये 700 मजदूर एक पाइप प्लान्ट, एक चमड़े के कारखाने, व एक पेपर फैक्ट्री के थे। उन्होंने हमें बताया कि आज शहर के सभी प्लान्टों में हड़ताल है तथा स्ट्रीटकारें नहीं चल रही हैं। हड़ताली मजदूर ड्राइवरों को प्रबंधकों के हाथों से निकाल रहे थे। सब तरफ से हमने सुना 'युद्ध मुर्दाबाद', महिलाएं चिल्लाईं 'हमारे पतियों को युद्ध क्षेत्र से वापस बुलाओ।

"हड़ताली मजदूर शहर भर में फैल गये। पुरिलोव फैक्ट्री से मजदूरों का एक जुलूस शहर की ओर बढ़ा और इसमें लोगों की भीड़ बाढ़ की तरह बार-बार जुड़ती गयी।"

—के. लोकोवेस्वाई-वेसेग्दा वामी;
स्वोनिक पोस्वियागयेनी

कुल मिलाकर दिन बिना ज्यादा हिंसा के गुजर गया। कुछ जगहों पर पुलिस की मदद के लिए सेना को बुला लिया गया लेकिन बाद में महसूस किया गया कि वे अनावश्यक हैं अतः उन्हें वापस लौटा दिया गया। शाम को 'लेरमोटोव मास्कुरेड' के प्रीमियर के समय आस-पास गोलियाँ चलने की आवाज सुनी गयी लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ व इसे सामान्य बात समझ लिया गया।

लेकिन ऐसा सोचना गलत था। आने वाले दिनों में यह आन्दोलन न केवल जारी रहा बल्कि वह और हिंसक होता गया जब तक कि एक समय का शक्तिशाली रोमानोव साम्राज्य बिखर नहीं गया।

इस हड़ताल से घटनाओं की एक श्रृंखला आरंभ हो गयी। इस हड़ताल के एक सप्ताह बाद प्रावदा ने अपने संपादकीय में लिखा :

"क्रान्ति का पहला दिन, यानि महिला दिवस, कामगार महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस था। सभी 'अंतर्राष्ट्रीय' का सम्मान करें। अपने दिन पर पेत्रोग्राद की सड़कों पर सबसे पहले आने वाली महिलाएं दो थीं।

—फनीना डब्ल्यू. हाले, सोवियत रूस में महिलाएं

अक्टूबर की ओर :

अप्रैल, 1917 में लेनिन के लौटने के तुरन्द बाद "हमारी क्रान्ति में सर्वहारा का स्थान : सर्वहारा पार्टी कार्यक्रम का मसौदा तैयार किया गया जिसमें कहा गया कि :

"जब तक महिलाओं को न केवल राजनीतिक गतिविधियों में बल्कि रोजमर्रा के महत्वपूर्ण कामों में भी, स्वतन्त्र भूमिका निभाने के लिए प्रेरित नहीं किया जाता तब तक समाजवाद तो दूर, स्थायी लोकतंत्र की बात करना भी बेकार है। जब तक महिलाएं वास्तव में पुरुषों की बराबरी पर नहीं आ सकेंगी तब तक बच्चों की देख-भाल व खाने का प्रबंध आदि जैसे काम भी वे ठीक से नहीं कर सकेंगी।"

—वी. आई. लेनिन, कलैक्टड वर्क्स, खण्ड 24

1917 की गर्मियों व बसन्त के पूरे मौसम में बोल्शेविकों ने महिलाओं के बीच खूब काम किया। लेनिन के सुझाव पर जो पहला महिला सम्मेलन हुआ था उनमें, मेन्शेविक्स, सामाजिक क्रान्तिकारियों तथा बोल्शेविकों ने भाग लिया। इस सम्मेलन से महिलाओं पर बोल्शेविकों के प्रभाव का प्रदर्शन हुआ।

आने वाले महीनों में घटनाक्रम के बढ़ते हुए दबाव के कारण वामपंथ की ओर वैर-भाव बहुत बढ़ गया। जुलाई में एक प्रदर्शन भड़क उठा। बोल्शेविक सर्वहारा के मध्य प्रथम पंक्ति में आये।

एक रूसी कामगार महिला याद करती है :

"मुझे याद है कि कैसे मैं जुलाई के प्रदर्शन में गयी। हमारे संगठित पुरुष व महिला साथी बोल्शेविक प्रतीक के तहत उठ खड़े हुए। अनेक आवाजें गूंज गयीं, "हम, जो कुछ भी नहीं थे, और जो अब सब कुछ हो गये हैं, एक नया विश्व बनायेंगे।"

"जैसे ही प्रदर्शन नेवेस्की और सैडोवा की ओर, पहुंचा, मशीनगनों की आवाज सुनायी दी। लोग सड़कों

के किनारे भागे लेकिन चूंकि घरों के दरवाजे बन्द कर लिए गये थे अतः भागने का कोई रास्ता नहीं था, और गोलीबारी जारी रही। नेवेस्की प्रदर्शनकारियों की लाशों से भर गया। नेवेस्की के एक कोने में एक स्टोर भूमितल के स्तर पर बना हुआ था। जब गोलीबारी आरंभ हुई तो महिलाओं ने उस स्टोर के दरवाजे तक एक सीढ़ी लगा दी। दरवाजा बन्द था मगर एक-दूसरे की मदद करते हुए, किसी तरह खिड़की से महिलाएं दुकान में दाखिल हो गयीं व दुकान व फिर एक अंधेरे रास्ते से भागते हुए यार्ड में पहुंची और वहां वापस नेवेस्की आ गयीं।

"पेत्रोग्राद की सड़कों पर मजदूरों व सिपाहियों का खून बह रहा था। हमने उन्हें एक सामुदायिक कब्र में दफनाया।

"5 जुलाई, 1917 को हम अपने प्लांट, 'नोवीप्रोमैंट' पहुंचे। ऐसा लग रहा था मानो हम अपने साथियों को नहीं जानते थे। हमारी दो दिन की अनुपस्थिति में यह अफवाह फैला दी गयी थी कि मजदूरों पर गोली चलाने के लिए बोल्शेविक जिम्मेदार हैं। माहौल तनावपूर्ण था। जब हम दुकान में घुसे तो अनेक कामगार महिलाओं ने अल्युमिनियम के नुकीले पेंच हमारी ओर फेंकने शुरू कर दिये। मैं आश्चर्यचकित थी। मैंने अपने मुँह को हाथों से ढक लिया। वह महिला लगातार कह रही थी :

"ये ले, बोल्शेविक चमची !

"तुम लोग ये क्या कर रही हो ? बोल्शेविकों ने मजदूरों के लिए अपनी जान दे दी और तुम मजदूरों के हत्यारे मेन्शेविकों एस. आर. की बात सुन रही हो।

"मेरे चेहरे से खून बहता देख वह घबरा गयी। कोई पानी, आयोडिन और तौलिया ले आया। मेरी ब्रिगेड की लड़कियां रो पड़ीं। उन्होंने बताया कि किस प्रकार मेन्शेविक बाकाशेवा व अन्य लोगों ने उन्हें बोल्शेविकों के विरुद्ध भड़काया।

"महिलाओं के डांवाडोल होने की बात न केवल हमारे प्लान्ट में बल्कि पेत्रोग्राद के अन्य उपक्रमों में भी स्पष्ट हो गयी जब गैर-क्रान्तिकारियों ने एस. आर. व मेन्शेविकों के साथ मिलकर बोल्शेविकों का विरोध किया। उन्होंने खुले आम क्रांति-विरोधी रास्ता पकड़ लिया।

अक्टूबर के अन्तिम सप्ताहों में बोल्शेविक पार्टी ने महिलाओं के बीच अपनी स्थिति मजबूत करने व उन्हें महत्वपूर्ण संघर्ष में शामिल करने का संपूर्ण प्रयास किया। पार्टी समितियों ने महिला उद्यमियों के सम्मेलन किये जिनमें पार्टी की समस्याओं के बारे में समझाया गया व झूठी अफवाहों के बारे में सच्चाई समझाई। साथ ही गैर-क्रान्तिकारियों पर हमला करते हुए महिलाओं की वर्ग चेतना को ऊपर उठाने का भी प्रयास किया गया।

अक्टूबर क्रांति के साथ ही पेत्रोग्राद का प्रथम अखिल शहर कामगार महिला सम्मेलन भी हुआ। इसका आयोजन रैंबोनित्सा द्वारा किया गया था व इसमें 80,000 कामगार महिलओं ने भाग लिया। सम्मेलन का एक प्रमुख उद्देश्य पार्टी से बाहर की महिलाओं को आने वाली स्थितियों से परिचित कराना व यह बताना था कि विजय के बाद नयी सोवियत सरकार क्या कार्यक्रम अपनायेगी। महिलाओं ने अनेक प्रश्नों पर विचार किया व माताओं के कल्याण के लिये योजना तैयार की।

बीच में हथियारबन्द विद्रोह के कारण सम्मेलन में कुछ व्यवधान आया जिसके बारे में सम्मेलन में विचार चल रहा था। महिलायें हथियार लेकर क्रांतिकारी संघर्ष में भाग लेना चाहती थीं। वे चाहती थीं कि वे खाइयां खोदें घायलों को सेवा व सुरक्षा प्रदान करें। अन्ततः लेनिन ने उनसे कहा :

"पेत्रोग्राद में, यहां मास्को में, देश के शहरों और औद्योगिक केन्द्रों में महिलाएं क्रान्तिकारी इम्तहान में खरी उतरी हैं। उनके बिना हम जीते नहीं होते। या सिर्फ जीते ही होते। यह मेरा विचार है। वे कितनी बहादुर थीं। वे कितनी बहादुर हैं। कल्पना कीजिए उन अभावों समस्याओं की जो उन्होंने सहीं। वे डटी रहीं क्योंकि वे स्वतंत्रता और साम्यवाद चाहती हैं। बेशक हमारी महिलाएं शानदार वर्ग योद्धा हैं। वे प्रेम और सराहना की पात्र हैं..."

—वी.आई. लेनिन, फामिना में प्रकाशित, डब्ल्यू.एच. होते, वोमेन इन सोवियत रशिया।

—वोमेन एण्ड रेवोल्यूशन, नं० शीतयाबीन 1975-66

बीड़ी उद्योग की महिलाओं का बेवाट (राजस्थान) में शानदार सम्मेलन

राजस्थान बीड़ी उद्योग में कार्यरत लगभग एक हजार महिलाएं 30 नवम्बर, 1992 को 11.00 बजे विडवानी देवी बुराद धर्मशाला में एकत्र हुईं। बीड़ी एकता यूनियन (सीटू) को 200 से अधिक महिलाओं के आने की उम्मीद नहीं थी व उसने उसी के हिसाब से हॉल में ही लंच आदि की व्यवस्था की थी। चूंकि हॉल छोटा था व बाहर खड़ी महिलाएं भी वक्ताओं को सुनना चाहती थीं अतः सीटू की सचिव कॉ. विमल रणदिवे को तब तक रुकना पड़ा जब तक बाहर वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो गयी। लगभग 15 मिनट बाद महिलाएं बाहर बैठ गयीं व उन्होंने शान्तिपूर्वक कॉ. विमल रणदिवे को सुना।

बीड़ी उद्योग में महिलाओं की कार्यस्थितियां बेहद खराब रही हैं। उन्होंने पुरुषों के नाम पर परिचय पत्र व पास दिये जाते हैं, जो कि कई बार जीवित भी नहीं होते। 'गजानंद बीड़ी' व ऐसे ही अन्य बड़े बीड़ी निर्माता बीड़ी व सिगार कानून का पालन नहीं करना चाहते जिसके तहत क्रैच, चिकित्सकीय सुविधाओं, भविष्यनिधि, गर्भावस्था अवकाश आदि का प्रावधान है।

बेवाट महिलाएं दो प्रकार की बीड़ी बनाती हैं। एक है 'साधी' व दूसरी है 'नाखून'। 'नाखून बीड़ी बेहतर मानी जाती है। नियमों के अनुसार साधी बीड़ी के लिए वेतन 18.62 रु. व 'नाखून' बीड़ी के लिए वेतन 22 रु. प्रति हजार है। दुर्भाग्यवश किसी को इस दर से वेतन नहीं दिया जाता। कुछ वर्ष पहले महिलाओं को 9 रु. प्रति एक हजार दिये जाते थे व हस्ताक्षर कराये जाते थे। लेकिन वास्तविक भुगतान केवल 5-6 रु. ही होता था। बैठक में महिलाएं चाट व्यवस्था के बारे में भी बोलीं जो सभी राज्यों में प्रचलित है। कुछ बीड़ियों को खराब बीड़ियाँ कहकर नामंजूर कर दिया जाता था जबकि मालिक इन्हें बाद में बाजार में बेचते थे। यही नहीं, महिलाओं ने बताया कि मालिक उन्हें कम तम्बाकू व पत्ते देते हैं और उनसे पूरी 1000 बीड़ियाँ बनाने की उम्मीद करते हैं।

हालांकि बीड़ी मालिकों से एक प्रतिनिधिमंडल इस बारे में मिला लेकिन वे टस से मस नहीं हुए व उन्होंने महिलाओं का शोषण जारी रखा। अन्ततः उन्होंने 1 फरवरी, 1986 से हड़ताल कर दी जो कि 15 तारीख तक चली। इस प्रश्न पर पूरे बेवाट में एक ऐतिहासिक बन्द आयोजित किया गया जिसके परिणामस्वरूप मालिकों व यूनियन के बीच समझौता हुआ।

इसके अतिरिक्त जयपुर में, जून 1990 में यूनियन के अध्यक्ष कॉ० शर्मा ने सचिवालय पर छः दिन का धरना व उपवास किया।

लिहाजा, यह आश्चर्यजनक नहीं है कि बेवाट में बीड़ी उद्योग 10,000 महिला उद्यमियों को 250 रु. का गर्भावस्था भत्ता मिल रहा है तथा बीड़ी कल्याण कोष से उनके बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उस संघर्ष के कारण ही बीड़ी मजदूरों के लिए अस्पताल खुला है व 4000 मजदूरों के वेतन से भविष्यनिधि की राशि काटी जाती है।

कॉ. विमल रणदिवे ने महिलाओं को उनके शानदार संघर्ष के लिए बधाई दी तथा बीड़ी, आंगनवाड़ी व निर्माण उद्योग में महिलाओं के शोषण के बारे में विस्तार से बताया। कॉ. अनाराज शर्मा ने कहा कि संघर्ष के बाद भी महिलाओं की स्थिति बदतर हो रही है तथा उन्हें लाल बैनर तले संगठित होना चाहिये। उन्होंने राज्यवार बीड़ी यूनियनें बनाने की भी अपील की। रैली में अन्य बातों के अतिरिक्त 1000 बीड़ियों पर 35 रु. के वेतन, 20% बोनस, भविष्यनिधि, 90 दिन के गर्भावस्था अवकाश तथा वेतन की रसीद की प्रति महिलाओं को देने की भी मांग की।

महासचिव कॉ. रवीन्द्र शुक्ला ने 25 नवम्बर की रैली व उसमें पुरुषों व महिलाओं की जबर्दस्त भागेदारी की चर्चा की। प्रायोजक समिति द्वारा रैली में सरकार की आर्थिक व औद्योगिक नीतियों के खिलाफ भारत बन्द की अपील की गयी।

एल. आई. सी., बैंक, व अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी इस शानदार रैली में भाग लेने के लिए महिलाओं को बधाई दी।

सीटू की असम राज्य कमेटी का सम्मेलन महिला प्रतिनिधियों ने अपनी समस्याएं उठायीं

सीटू का असम राज्य सम्मेलन 7-9 नवम्बर 1992 को संपन्न हुआ। सम्मेलन में 242 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, जिनमें 24 महिलाएं थीं। असम हमारे देश के कुल चाय उत्पादन का 60 फीसद पैदा करता है। देश के 5 चाय उत्पादक राज्यों के सभी चाय बागानों में कुल श्रम शक्ति का 70-80 फीसद महिलाएं ही हैं। लेकिन दुर्भाग्य से सभी राज्यों में चाय बागान उद्योग के सम्मेलनों में यह देखने में आया कि महिला प्रतिनिधियों की संख्या बहुत कम रहती है। असम में चाय बागान उद्योग ही सबसे बड़ा उद्योग है। इस राज्य में, जैसा कि सम्मेलन के अन्त में बताया गया, सीटू की सदस्य संख्या, महिलाओं सहित, 40,000 है। पिछले सम्मेलन में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार सीटू की सदस्यता में पुरुषों की संख्या 24,292 थी, जबकि महिलाओं की संख्या इससे लगभग आधी यानी 11,048 थी। इस सम्मेलन में उपस्थित 24 महिला प्रतिनिधियों में से सिर्फ दो महिलाओं ने सम्मेलन में अपने विचार व्यक्त किये। सीतामढ़ी ने महत्वपूर्ण सवाल उठाते हुए पूछा कि सीटू की महिला कमेटी क्या है और इसकी गतिविधियां क्या हैं। उनका कहना था कि वह यह नहीं जानती कि कमेटी का उद्देश्य क्या है।

स्टीयरिंग कमेटी में इस प्रश्न पर विचार करने के बाद महिला प्रतिनिधियों और महिला वालंटियरों की 9 तारीख को साढ़े 3 बजे शाम को एक बैठक आयोजित करने का फैसला किया गया। यह सचमुच हैरानी की बात थी कि 3 बजे शाम को जब सीटू सचिव विमल रणदिवे पंडाल में पहुंची तो महिलाएं पहले से ही उपस्थित थीं। बैठक की शुरुआत करते हुए विमल रणदिवे ने सुझाव दिया कि महिलाओं को बेहिचक विचार-विमर्श में भाग लेना शुरू करना चाहिए। इसके बाद एक के बाद एक प्रतिनिधि आगे आयीं व उन्होंने बागानों में अपने-अपने काम की स्थितियों के बारे में बताया। एक प्रतिनिधि का कहना था कि वहाँ उसके लिए घर की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। दीवारें हैं लेकिन कोई छत नहीं है। एक अन्य प्रतिनिधि आगे आयीं और उन्होंने कहा कि बागान के आसपास उनके बच्चों के लिए कोई स्कूल नहीं है। तीसरी प्रतिनिधि ने कहा कि बागान में भविष्यनिधि की व्यवस्था तो है, लेकिन वह कर्मचारी की मृत्यु के बाद ही लागू होता है। इसके बाद एक अन्य प्रतिनिधि ने कहा कि बागान में शुद्ध पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। एक प्रतिनिधि ने बताया कि वहाँ अस्पताल की कोई उचित व्यवस्था नहीं है और एक रोगी को दी जाने वाली दवा चार लोगों को दी जाती है। कोई महिला डाक्टर भी उपलब्ध नहीं है। यह विचार-विमर्श घण्टे भर तक चलता रहा। इस विचार-विमर्श में 10-12 प्रतिनिधियों ने भाग लिया यह सचमुच बहुत उत्साहवर्धक था कि सम्मेलन में भाग ले रहे पुरुष प्रतिनिधियों की तरह ही महिला प्रतिनिधि भी, जिन्हें भी बोलने का मौका मिला, बहुत ही अच्छा बोलीं।

बहस का समापन करते हुए विमल रणदिवे ने महिला सब कमेटी के उद्देश्यों के बारे में बताते हुए कहा कि किस तरह यह अखिल भारतीय स्तर पर काम करती है। इस सन्दर्भ में उन्होंने रेखांकित किया कि कमेटी का उद्देश्य यह है कि यूनियन मजदूरों की बालगृहों के प्रावधान करने और उनके बच्चों के लिए स्कूल आदि की समस्याएं उठायें और उसका हल करवाने की कोशिश करें। असम में मुख्य सवाल महिलाओं के लिए असमान मजदूरी का है। उन्हें पुरुष मजदूरों के मुकाबले कम मजदूरी मिलती है जबकि महिलाएं और पुरुष समान कार्य करते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि सीटू को इस सिलसिले में आगे बढ़कर संघर्ष करना चाहिए और बढ़ी संख्या में उन्हें अपना सदस्य बनाना चाहिए। सीटू की नई कमेटी में फिलहाल सिर्फ एक महिला कामरेड को शामिल किया गया है लेकिन यह फैसला लिया गया है कि जल्दी ही एक महिला राज्य सब कमेटी का गठन किया जाएगा।

सं. 12-1/90-सी.डी.-II

भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय
महिला व बाल कल्याण विभाग

शास्त्री भवन,
दिनांक 29 सितंबर, 1992

प्रति,

सचिव व निदेशक,

सभी राज्यों व संघ शासित प्रदेशों में आई.सी.डी.एस. का काम देखने वाले सभी विभागों/निदेशालयों के प्रमुख।

विषय : आंगनवाड़ी कर्मचारियों व सहायिकाओं को दिये जाने वाले आई.सी.डी.एस. मानदेय की दरें।

महोदय,

इस मंत्रालय के पत्र सं. 1-7/83 सी.डी., दिनांक 15-9-1986 के पुनरम्भि में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आई.सी.डी.एस. योजना के तहत आंगनवाड़ी सेविकाओं व सहायिकाओं को दिये जा रहे मानदेय में पुनः वृद्धि का प्रश्न पिछले कुछ समय से भारत सरकार के विचाराधीन है। भारत सरकार द्वारा अब यह फैसला किया गया है कि दिनांक 02.10.1992 से आंगनवाड़ी सेविकाओं व सहायिकाओं के मानदेय में क्रमशः 125 रु. व 90 रु. की वृद्धि की जा सकती है। इन कर्मचारियों के लिए मानदेय की संशोधित दरें, जो 2 अक्टूबर, '92 से लागू होंगी, निम्न प्रकार हैं :

श्रेणी	वर्तमान मानदेय	2 अक्टूबर '92 से लागू संशोधित मानदेय
(क) आंगनवाड़ी कर्मचारी		
1. मैट्रिक से कम	225	350
2. मैट्रिक से कम, मानदेय पर 5 वर्ष तक कार्य।	250	375
3. मैट्रिक से कम, मानदेय पर 10 वर्ष तक कार्य।	275	400
4. मैट्रिक	275	400
5. मैट्रिक व मानदेय पर 5 वर्ष तक कार्य	300	425
6. मैट्रिक व मानदेय पर 10 वर्ष तक कार्य	325	450
(ख) सहायिकाएं	110	200

इन कर्मचारियों से संबंधित अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।

2. 2 अक्टूबर, 1992 से इन कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि के कारण राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन के लिए चालू वित्त वर्ष, अर्थात् 1992-93 के लिए इन श्रेणियों के कर्मचारियों के बढ़े हुए मानदेय के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे। यह विभाग केन्द्र द्वारा प्रायोजित आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं में आंगनवाड़ी सेविकाओं व सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि के संदर्भ में आवश्यक अतिरिक्त अनुदान प्रदान करेगा।

3. कृपया इस पत्र की पावती भेजें।

भवदीय

ह०/-

(मीनाक्षी आनन्द चौधरी)
सह सचिव, भारत सरकार

वस्त्र उद्योग में महिलाएं

श्रीमती के. पद्मा

औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया ने असंगठित क्षेत्र, खासकर घरेलू स्तर के उद्योगों, के आधार को व्यापक बनाया है जहां बड़ी संख्या में महिलाएं कम वेतन पर खराब कार्यस्थितियों में कार्यरत हैं। संगठित क्षेत्र व असंगठित क्षेत्र में दोहरा सम्बन्ध है। एक सम्बन्ध यह है कि असंगठित क्षेत्र के उपक्रम निर्भरता के सम्बन्ध से संगठित क्षेत्र से जुड़े हैं, संगठित क्षेत्र में होने वाले नीतिगत परिवर्तनों व तकनीकी विकास का कई बार असंगठित क्षेत्र पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के तौर पर कपड़ा उद्योग में हुए नीतिगत परिवर्तनों से श्रमिक खासतौर पर पर महिला श्रमिक बड़ी संख्या में बेकार हुईं। उप-ठेका संगठित व असंगठित क्षेत्र का एक और संबंध है। संगठित क्षेत्र की उप-ठेका प्रणाली से श्रम सघन प्रक्रिया को दरकिनार करके उनमें से अधिकतर को असंगठित क्षेत्र में काम करने को छोड़ देती है। इन उपक्रमों में, खासतौर घरेलू उद्योगों में महिलाओं को शोषणकारी दरों को काम पर रख लेते हैं। उसका एक उदाहरण हमारे देश का वस्त्र निर्माण व निर्यात उद्योग है।

महिलाओं को कई तरह के काम करने पड़ते हैं। सभी प्रकार के कामों में गहरी एकाग्रता व धैर्य की आवश्यकता होती है। आमतौर पर महिलाएं जो काम करती हैं उनमें ब्लाउज व पेटीकोट सिलना, कढ़ाई व कटाई आदि शामिल होते हैं। एक दो इलाके में व अलग-अलग इलाकों में एक ही काम के लिए दिया जाने वाला पीस रेट अलग-अलग है। उदाहरण के तौर पर दिल्ली में महिलाओं को कटाई के लिए प्रति पीस 0.50 रु० से 2.00 रु०, कढ़ाई के लिए 15 रु० तथा सिलाई के लिए 11/6 प्रति पीस दिया जाता है। पश्चिम बंगाल में मिदनापुर व उसके आस-पास महिलाओं को एक दर्जन पेटीकोट सिलने पर 8 रु० दिये जाते हैं। (0.66 रु० प्रति पेटी कोट) जबकि राजकोट में एक एक दर्जन पेटीकोट सिलने पर 5 रु० मिलते हैं (41 पैसे प्रति पेटीकोट)

गरीबी, पतियों का अनियमित रोजगार व अपर्याप्त आय महिलाओं को वस्त्र उद्योग में काम करने के लिए मजबूर करती है। उसके अतिरिक्त परिवार के पुरुष सदस्यों का रोजगार की तलाश में दूर-दूर जाना भी महिलाओं के वस्त्र उद्योग में आने का एक कारण है। सामाजिक कारण, अशिक्षा व पड़ोस की ही महिला साथियों से ही काम सीख सकने की सुविधा के कारण भी महिलाएं इस व्यवसाय में आती हैं। महिलाओं द्वारा पीस रेट पर काम चुने जाने का एक और कारण यह है कि इसमें वे घर पर रहते हुए अपनी अन्य जिम्मेदारियों को भी निभा सकती हैं।

तथापि, घरेलू उद्योग के ये सारे लाभ महिलाओं को और बहुत सारे शोषणों का शिकार बना रहे हैं। इन उद्योगों में कार्यरत अधिकतर महिलाएं गरीबी रेखा के बिल्कुल कगार पर हैं। उनकी आय महत्वपूर्ण होती है व प्रायः परिवार को गरीबी से निकालने में मदद करती है। वे लम्बे समय तक काम करती हैं और अक्सर उनके काम के घण्टे मौसम के हिसाब से बदलते हैं। अधिक कमाने के लिए वे प्रायः बच्चों को खासकर लड़कियों को भी इस व्यवसाय में ले आती हैं। यदि एक महिला अपनी दो लड़कियों को भी काम में शामिल करे तो वह 11 घण्टों में 20 पीस सिल सकती है। यानि, वह एक माह में (धागे की कीमत को बिना घटाये) 300 रु. कमा सकती है। यह आठ घण्टे काम के लिए न्यूनतम वेतन से बहुत कम है। इसके अलावा इन महिलाओं को परिवार की जरूरतों के मुताबिक 6-8 घण्टे घरेलू काम के लिए भी देने पड़ते हैं। इससे पता चलता है कि ये महिलाएं जबर्दस्त दबाव में काम कर रही हैं।

और जो इससे भी बुरी बात है वह यह है कि उन्हें उत्पादन की प्रक्रिया में अपनी स्थिति का सही पता नहीं है। वे अपने को कर्मचारी नहीं समझतीं। काम की प्रवृत्ति तथा प्रचलित सामाजिक मान्यताओं के कारण वे

यही मानती हैं कि वे प्राथमिक रूप से गृहणियाँ हैं तथा परिवार की आय में उनका योगदान नाममात्र का है। उसके परिणामस्वरूप घरेलू काम का बंटवारा उसी पुराने आधार पर होता है तथा उसकी मुख्य जिम्मेदारी महिलाओं पर ही रहती है। जहां पुरुष घर पर खाली रहते हैं वहाँ भी वे कभी घरेलू काम नहीं करते। यदि महिलाएं कभी इस बारे में शिकायत करती हैं या मदद मांगती हैं तो उनसे कहा जाता है कि उन्हें पीस रेट पर कोई काम करने की कोई जरूरत नहीं है तथा वे घर की देखभाल करें, "मेरे बच्चे मेरी मदद करते हैं, लेकिन पति से मदद मांगने की मेरी हिम्मत नहीं होती। वे कहेंगे कि अगर तुम्हारे पास समय नहीं है तो कढ़ाई मत करो।" इसलिए परिवारों में भी महिला-पुरुष असमानता की स्थिति में कोई फर्क नहीं आया है जबकि परिवार व्यवस्था में उनका बराबर का योगदान है।

एक फैक्ट्री मजदूर का दृष्टिकोण सीमित अर्थों में ही सही कुछ व्यापक होता है। फैक्ट्री का काम उसे अन्य मजदूरों के संपर्क में लाया। उसके विपरीत घरेलू काम में महिलाओं का अपने पड़ोस में कार्यरत महिला से भी कोई भौतिक संपर्क न होने के कारण समान हितों की जागरूकता पैदा नहीं हो पाती। एक ही मुहल्ले में रहने वाली महिलाएं काम के बारे में आपस में सूचनाओं का आदान-प्रदान नहीं करतीं। गंभीर जीवन स्थितियां व काम के लिए बड़ी संख्या में महिलाओं का उपलब्ध होना उन्हें आपस में जानकारी बांटने से रोकता है। ठेकेदार इस प्रतियोगिता व भेदभाव का लाभ उठाकर मेहनताना कम से कमतर रखते हैं। बीड़ी उद्योग के ही समान वस्त्र उद्योग में भी महिलाओं के हितों की रक्षा करने वाला कोई प्रावधान नहीं है। ठेका मजदूरी नियंत्रण प्रावधान उन पर लागू हो सकता है। लेकिन आमतौर पर उसका उल्लंघन ही होता है। अतः प्रावधान के कारण महिलाओं को कोई लाभ नहीं मिल पाता।

अतः वस्त्र उद्योग में महिलाओं का शोषण व उनका पिछड़ापन तभी समाप्त हो सकता है जब ठेका प्रणाली समाप्त हो व परिवार में लिंग के आधार पर काम का बटवारा बन्द हो। वर्तमान सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था में ऐसा कहना तो आसान है। लेकिन व्यवहार में ऐसी स्थिति ला पाना कठिन है। संगठित मजदूर आंदोलन व लिंग के आधार पर भेद-भाव को पनपाने वाली वर्तमान व्यवस्था को उखाड़ फेंकना ही इन महिला कामगारों की समस्याओं का एकमात्र समाधान है। इन असंगठित महिला कामगारों को संगठित करने के लिए मैं श्रम-संगठनों को कुछ कदमों का सुझाव दे रही हूं।

श्रम संगठनों के लिए आवश्यक कदम

सबसे पहले श्रम संगठनों को यह देखना होगा कि ठेका मजदूरी नियंत्रण व निवारण अधिनियम, 1970 प्रभावशाली ढंग से लागू हो।

दूसरी बात यह कि इन गतिविधियों से महिलाओं को वर्तमान प्रावधान की कमियों के बारे में शिक्षा मिलनी चाहिए व उनमें एक बेहतर प्रावधान की आवश्यकता के बारे में जागरुकता पैदा होनी चाहिए। नया कानून 'सिगार व बीड़ी (रोजगार की शर्तें) प्रावधान, 1966 के आधार पर हो सकता है जिसमें मटाहांडी के डॉक लेबर बोर्ड की तरह त्रिपक्षीय बोर्ड गठित किये जा सकते हैं।

तीसरे कदम के रूप में महिला कामगारों को यह बात समझायी जानी चाहिए कि पीस रेट कम होने के लिए उनकी महिला साथी जिम्मेदार नहीं हैं बल्कि ठेकेदारों/निर्माताओं की लाभ कमाने की प्रवृत्ति इसके लिए जिम्मेदार है। दूसरी ओर गहरा होता हुआ आर्थिक संकट महिलाओं को कम वेतन पर काम स्वीकार करने के लिए बाध्य करता है। इस जागरूकता से वे बेहतर पीस रेट के लिए संघर्ष कर सकेंगी। उससे ठेका-प्रणाली को समाप्त करने के लिए संघर्ष करने में भी सहायता मिलेगी।

चौथे कदम के रूप में श्रमिक नेता महिला कामगारों को समझायें कि अन्ततः उनकी मुक्ति संपूर्ण मेहनतकश वर्ग की मुक्ति के साथ ही जुड़ी हुई है। अतः अपने पुरुष साथियों के साथ मिलकर संघर्ष करना चाहिए। उन्हें अन्य मजदूर तबकों के संघर्षों में भी भाग लेना चाहिए क्योंकि केवल इसी प्रकार वर्तमान ढांचे को उलटा जा सकता है व एक बेहतर व्यवस्था की नींव रखी जा सकती है जिसमें वे अधिक समान अधिकार पा सकेंगी।

मनमोहनवाद देश को कर्ज जाल में धकेल रहा है

जैसे-जैसे देश विदेशी कर्ज के जाल में फंस रहा है और मनमोहन सिंह 9 बिलियन डालर के विदेशी निवेश की आवश्यकता शोर मचा रहे हैं, सरकार अंतहीन आयात के कारण गंभीर दबाव में आती जा रही।

अफसरशाही व राजनैतिक नेताओं के एक प्रभावशाली वर्ग में यह विचार बढ़ रहा है कि विदेशी मुद्रा का संकट आगामी पांच वर्ष में दूर नही होगा, जैसा कि पहले बताया गया था। उनका कहना है कि, चूंकि निर्यात में कछुए की चाल से प्रगति हो रही और आयात तेजी से बढ़ता जा रहा है अतः विदेशी मुद्रा के संकट से निबटने के लिए देश पांच वर्ष बाद फिर विश्व बेंक-मुद्रा कोष के दरवाजे पर जाना होगा। सूत्रों का कहना है कि मुद्रा कोष की शर्तों के कारण देश विदेशी मुद्रा के एक संकट से दूसरे संकट के बीच झूलता रहेगा।

आर्थिक सुधारों के लेखक डा. सिंह स्वयं असमंजस में हैं। आयात में की गयी किसी भी कमी से अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक समुदायों में गलत असर जायेगा और विश्व बेंक व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी रुष्ट होंगे। उनके ऊपर वाणिज्य मंत्रालय व रिजर्व बेंक से रुपये को पूर्णतः परिवर्तनीय मुद्रा बनाने के लिए दबाव पड़ रहा है क्योंकि इससे निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।

आधिकारिक सूत्र इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि सरकार गैर-जरूरी आयात में कमी कर सकती है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसे आयात की पहचान कैसे की जाये। दूरगामी परिणामों की आशा में होने वाले आयात पर कीमती विदेशी मुद्रा का व्यय हो रहा है। सूत्रों का मानना है कि 500 करोड़ रुपये के गेहूं आयात का करार हाल में सरकार ने किया है उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। इसी प्रकार ए. बी. बी. से बिजली के इंजनों, व पर्यटन विभाग द्वारा किया गया आयात भी अनावश्यक था। राजनीतिज्ञों को यह आवश्यक आयात लगता है।

गेहूं का अनावश्यक आयात :

1992-93 के पहले छः माह में निर्यात में (डालर में) 4.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा आयात में 22.2 वृद्धि हुई। वाणिज्य मंत्रालय ने इस वर्ष निर्यात में 12 प्रतिशत वृद्धि (डालर में) का लक्ष्य निर्धारित किया था। इसे प्राप्त किये जा सकने की संभावना नहीं है। वाणिज्य मंत्रालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि रुपये पूर्ण परिवर्तनीय बनाये बिना यह लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता।

विदेशी कर्ज :

1991-92 के अन्त में देश पर कुल विदेशी कर्ज 73.3 बिलियन डालर का था। इसमें से 39 बिलियन डालर आधिकारिक कर्ज था, 30.9 बिलियन डालर निजी क्षेत्र का कर्ज व 16 बिलियन डालर अनिवासी भारतीयों का कर्ज था। सहायता राशि 1980-81 से 76 प्रतिशत से घटकर 1991-92 में 40 प्रतिशत हो गयी। इसी प्रकार परिवर्तनीय ब्याज दर पर लिया गया उधार 1980-81 के 16 प्रतिशत से बढ़कर 1991-92 में 42 प्रतिशत हो गया।

डा. मनमोहन सिंह को अनिवासी भारतीयों व विश्व बेंक तथा मुद्रा कोष से जिस 9 बिलियन डालर के अतिरिक्त निवेश की उम्मीद है उसके चलते आठवीं योजना के अंत तक विदेशी कर्ज 83 बिलियन डालर तक पहुंच जायेगा। इतने कर्ज को चुकाने के लिए निर्यात में कम से कम 15% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि होनी चाहिये। शेष राशि का इंतजाम मदद से हो सकता है।

सूत्रों का कहना है कि आर्थिक सुधारों के पीछे विचार यह था कि रुपये के पूर्ण रूप से परिवर्तनीय होने व कच्चे माल की आसानी से उपलब्धतता के कारण पांच वर्ष के अन्दर भारतीय निर्यात प्रतियोगी स्तर पर पहुंच जायेगा। बीच की अवधि में विदेशी निवेश होगा व बहुराष्ट्रीय एजेंसियों की मदद से सरकार विदेशी मुद्रा की आवश्यकता से निबटने में सफल रहेगी।

व्यापार असंतुलन—सुधरने वाला नहीं :

यह स्वीकार किया जा रहा है कि अगले 5-6 वर्षों में व्यापार असंतुलन ठीक नहीं हो पायेगा। आने वाले वर्षों में जिस 2 बिलियन प्रतिवर्ष की दर से निजी निवेश

की उम्मीद थी वह नहीं हो सकेगा। जब से सुधारों की घोषणा की गयी है तब से अब तक सरकार ने 14 बिलियन डालर के निवेश को मंजूरी दी है। इनमें से अधिकतर प्रस्ताव के स्तर पर हैं और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वे कार्यान्वित होंगे ही।

खुद सरकारी आंकड़ों के ही अनुसार 390 करोड़ रु. की मूल राशि व 350 करोड़ ब्याज की प्रति मास आदायगी होनी है। इसकी तुलना में चालू वित्त वर्ष के पहले चार माह में कुल आय 2500 करोड़ रु. रही यानि कुल मिलाकर 430 करोड़ रु. कम रही।

सरकार विदेशी मुद्रा भंडार में सुधार का श्रेय लेती है जो कि लगभग 6.5 बिलियन डालर है। यह निर्यात में हुए किसी सुधार के कारण नहीं हुआ है। लगभग सारी विदेशी मुद्रा विश्व बैंक, मुद्रा कोष तथा दो योजनाओं 'फारेन एक्सचेंज इम्युनिटी स्कीम' व 'इंडिया बांड' से आयी है।

सबसे बड़ा कर्जदार देश :

मुद्रा कोष से सबसे ज्यादा ऋण लेने वाला देश होने के साथ ही साथ भारत को सबसे बड़ा कर्जदार देश भी माना गया है। विश्व बैंक के एक अध्ययन के अनुसार भारत का कर्ज-निर्यात अनुपात 1990-91 में 282% रहा। जबकि इंडोनेशिया के लिए यह अनुपात 230%, मैक्सिको के लिए 222% व नाइजीरिया के लिए 243 प्रतिशत रहा।

महिला स्वास्थ्य कर्मी : भुखमरी के कगार पर

अन्याय, उत्पीड़न और शोषण का विरोध करनेवाली स्वास्थ्य कर्मचारी मुन्नी देवी को उच्चाधिकारियों की कोप-दृष्टि का शिकार बनना पड़ा। 1986 में जब मुन्नी देवी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में अपनी सरकारी सेवा आरम्भ की तभी से अफसरों की ज्यादतियों का सिलसिला भी शुरू हो गया। उससे कहा गया कि वह अपना आधा वेतन अधिकारियों को सौंप दे। चूंकि वह ऐसा करने में असमर्थ थी अतः उस पर जोर-जुल्म की शुरुआत हो गयी। उसे वेतन रोककर परेशान किया गया।

अन्याय की शिकार मुन्नी को गत सात वर्षों में देश के चार प्रधान मंत्री, अन्य केन्द्रीय मंत्री व प्रदेश के मुख्य मंत्री भी न्याय न दिलवा सके। न्याय की गुहार संघर्षरत मुन्नी देवी, राज्यपाल, मुख्य मंत्री, केन्द्रीय मंत्रियों, प्रधान मंत्री व विपक्षी नेताओं से अपना दुखड़ा रोया परन्तु दुर्भाग्य कि इस 'लोकतांत्रिक देश' में कोई उसे न्याय न दिला सका। महिलाओं को ऐसे शोषण से निबटने के लिए आगे आना होगा।

विश्व भर में संघर्षरत महिलाओं का अभिनन्दन

आज के दिन हम दुनिया भर में समाजवाद के परचम को ऊंचा उठाने के लिए अपने-अपने देशों में संघर्षरत सभी महिलाओं का अभिनन्दन करते हैं। हर प्रकार के शोषण से मुक्ति पाने का एकमात्र रास्ता समाजवाद ही है। चीन, वियेतनाम, उत्तर कोरिया, क्यूबा व अन्य देशों में महिलाएं मार्क्सवादी-लेनिनवादी मूल्यों के लिए संघर्ष कर रही हैं। दक्षिण अफ्रीका व अंगोला में महिलाएं स्वतंत्रता के संघर्ष में खून बहा रही हैं। हमें उन नीतियों पर गर्व है। जो येल्तसिन जैसे प्रतिक्रियावादियों के आगे झुकने को तैयार नहीं हैं तथा जो गर्व से अपने को कम्युनिस्ट कहते हुए वर्तमान व्यवस्था को उलटकर मार्क्सवाद-लेनिनवाद की स्थापना का प्रयास कर रही हैं। पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत मुक्ति के लिए संघर्षरत हम महिलाएं, समाजवाद के लिए आपके संघर्ष का हमेशा समर्थन करेंगी। हमारा और आपका लक्ष्य एक ही है। हमें इस व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष करना है जो महिलाओं व पुरुषों को बन्धन में रखती है व समाजवादी व्यवस्था की स्थापना करनी है जहां महिलाएं हर प्रकार के शोषण से मुक्त होंगी।

अक्टूबर क्रांति की भावना व विचारधारा को प्रतिक्रियावादी शक्तियों को परास्त करते हुए आगे लायें।

अक्टूबर क्रांति अमर रहे।
महान लेनिन अमर रहे।

7 नवम्बर, 1992

पांडिचेरी के संघर्ष में जबर्दस्त सफलता

ऑल इण्डिया फेडरेशन के आह्वान पर संघ शासित प्रदेश पांडिचेरी की आंगनवाड़ी सेविकायें व सहायिकायें 21-11-92 को केन्द्र सरकार की नयी आर्थिक नीतियों के विरोधस्वरूप काम बन्द रखेंगी व पांडिचेरी में मुख्य डाकघर के समक्ष प्रदर्शन करेंगीं। एसोसिएशन की ओर से उसकी दो प्रतिनिधि का. चिलागाम व का. अन्नामलाई 25 नवम्बर के मार्च में हिस्सा लेंगीं। वे 24-11-92 को का. आनंदराजन (उपाध्यक्ष) के नेतृत्व में दिल्ली आ रहे प्रतिनिधिमंडल का एक हिस्सा हैं।

वेतन व बोनस के लिए इस बार भी आंगनवाड़ी सेविकाओं व सहायिकाओं को जबर्दस्त संघर्ष करना पड़ा। सरकार ने आंगनवाड़ी सेविकाओं व सहायिकाओं को (क्रमशः 600 रु. व 300 रु.) का बोनस देने से इनकार कर दिया। सरकार का तर्क था कि एसोसिएशन ने एकतरफा ढंग से अगस्त, 1991 से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के काम के घंटों को सात से घटाकर चार कर दिया है। सरकार ने बोनस को मुद्दा बना कर काम के घण्टों के लिए सौदेबाजी शुरू कर दी। हमने पांडिचेरी विधान सभा व प्रशासक कार्यालय कराकल के दफ्तर के समक्ष सभी सेविकाओं व सहायिकाओं ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। लेकिन सरकार ने अपना रवैया नहीं बदला। तब हमने 20-10-92 को हड़ताल के साथ-साथ विधान सभा व प्रशासक कार्यालय पर प्रदर्शन करने का फैसला किया। उस दिन हड़ताली सेविकाओं ने प्रदर्शन करने का फैसला किया। उस दिन हड़ताली सेविकाओं व सहायिकाओं ने प्रदर्शन स्थल पर विशाल रैली की जहाँ उनका सामना राइफलों, लाठियों व आंसू गैस के गोलों से सज्जित पुलिस से हुआ। गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों को ले जाने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं। अन्ततः प्रदर्शन शुरू होने से पहले समाज कल्याण मंत्री ने नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया। यह बातचीत देर रात तक चली। हम अपनी बात पर डटे रहे कि काम के घंटे चार से अधिक नहीं किये जा सकते तथा सरकार को बोनस देना होगा। अन्ततः हम सरकार को काम के घंटे बढ़ाये बिना बोनस देने पर मजदूर करने में सफल हो गये। सेविकायें व सहायिकाएं इस शानदार विजय से उत्साहित हैं।

जी. आई. सी. महिला उद्यमियों का तीसरा सम्मेलन

6 सितम्बर, 1992 को विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में हुए महिला कामगारों के तीसरे सम्मेलन का संचालन एक तीन-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जिसमें का. एन. शैलजा, का. जे. वी. पद्मा तथा का. राजकुमारी थीं ने किया। का. एन. शैलजा (संयोजक) ने सदन के समक्ष रिपोर्ट रखी। आंध्र विश्वविद्यालय की प्राध्यापिका का. नलिनी मुख्य वक्ता थीं। उन्होंने देश में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि न केवल महिलाओं को समान वेतन नहीं मिलता बल्कि उनका अनेक प्रकार से शोषण भी किया जाता है। उन्होंने कहा कि सारे प्रावधानों तथा मंत्रियों की बातें खोखली हैं व इनसे महिलाओं को कुछ हासिल नहीं होता। उन्होंने यह सम्मेलन आयोजित करने के लिए जी. आई. सी. कर्मचारियों को बधाई दी व महिलाओं को समाज की सभी बुराइयों के खिलाफ संगठित करने की अपील की।

एल. आई. सी. महिला कर्मचारियों की समन्वय समिति की ओर से का. एम. पद्मजा व का. सूर्यमणि भी सम्मेलन में बोलीं।

रिपोर्ट पर हुए विचार-विमर्श में 11 सदस्यों ने भाग लिया। वक्ताओं ने इस बात पर बल दिया कि महिला कर्मचारियों को ए. पी. जी. आई. ई. ए. के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिये तथा सदस्यता बढ़ाने, श्रम संगठनों के जरिये महिलाओं को शिक्षित करने व लोकतांत्रिक महिला संगठनों की अपील पर विभिन्न संघर्षों में भाग लेने के अलावा लम्बित पड़ी मांगों जैसे (1) भोजन गृह (2) आराम गृह (3) क्रेच (4) आवास सुविधा तथा (5) जन परिवहन व्यवस्था आदि की मांगों के लिए आन्दोलन शुरू करें।

सम्मेलन में एक पांच सदस्यीय समन्वय समिति चुनी गयी जिसकी संयोजक का. एन. एस. शैलजा होंगी।

बिहार-राज्य आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं का विधान सभा के समक्ष प्रदर्शन

—शान्ति मिश्रा

बिहार राज्य आंगनवाड़ी सेविका सहायिका एवं कर्मचारी संघ के राज्य शाखा की आपात बैठक राज्याध्यक्ष श्रीमती सुशीला देवी की अध्यक्षता में 21 अक्टूबर को लोकस्वास्थ्य संस्थान पटना में सम्पन्न हुई।

सर्वप्रथम संघ के दिवंगत व्यक्तियों को श्रद्धांजलि अर्पण के पश्चात सभा की कार्यवाही आरम्भ की गयी। संघ के महामंत्री श्रीमती शान्ति मिश्रा ने उपस्थित सदस्यों को बताया कि 2 अक्टूबर '92 से सेविका एवं सहायिका के मानदेय में क्रमशः 125 रु० एवं 90 रु० की बढ़ोत्तरी की गयी है, जिसके लिए उन्होंने का. विमला रणदिवे को साधुवाद दिया।

उन्होंने सदस्यों से अपील करते हुए कहा कि युग परिवर्तन ने हम महिलाओं के कर्म क्षेत्र को और अधिक व्यापक बना दिया है, नई चुनौतियों और कुछ नया कर दिखाने के सरकारी निर्देशों ने हम आंगनवाड़ी सेविकाओं को बड़ी परेशानियों में डाल दिया है, किन्तु इससे आप सभी में घबराहट अथवा बेचैनी नहीं होना चाहिए बल्कि साहस और धैर्य के साथ अपने कार्यों के प्रति लगन एवं निष्ठा का प्रदर्शन करना चाहिए क्योंकि इस अतिरिक्त कार्यभार जैसे 11 वर्ष से 18 वर्ष के बालिकाओं का आंगनवाड़ी कार्यक्रम में जुड़ना न आप सबों को अंतर्राष्ट्रीय श्रम कानून के अन्तर्गत पूर्ण कालिक श्रमिक के अगली कतार में लाकर खड़ा कर दिया है। उक्त कानून के अनुसार पांच घण्टे अथवा उससे अधिक कार्य करने वाला श्रमिक पूर्ण कालिक कहलाता है। हमें मानदेय नहीं बल्कि वेतन मिलना चाहिए।

ज्ञातव्य है कि बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने अपने पत्रांक 1154 दिनांक 12.8.92 के द्वारा सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया था कि आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण जवाहर रोजगार योजना से करायी जाय, किन्तु आज तक एक भी केन्द्र का निर्माण नहीं किया गया। आपके संगठन ने बहू-बेटी के प्रश्न के सेविकाओं के चयन रद्द किये जाने तथा बिना सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था के आंगनवाड़ी केन्द्रों को अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने पर घोर आपत्ति जाहिर की है और सरकार से अनुरोध किया है कि इसे अविलंब वापस लिया जाय।

उन्होंने सभी सदस्यों से यह अनुरोध किया कि आप अपनी मांगों के समर्थन में 17 दिसम्बर '92 को होने वाली राज्यस्तरीय प्रदर्शनी में भाग लेने हेतु सभी परियोजना के सेविका, सहायिका एवं कर्मचारियों को भारी संख्या में उपस्थित होने के लिए उत्साहित करें। श्रीमती मिश्रा ने समान विचारधारा वाली महिला संगठन तथा बिहार राज्य खेत खलिहान महिला मजदूर संघ के महामंत्री सुश्री अंजू पाण्डेय 'दत्तमयी' तथा बालिका विद्यालय शिक्षक्षिका संघ की वरिष्ठ सदस्या श्रीमती शीला शर्मा के सहयोगात्मक रुख की प्रशंसा की तथा उन संगठनों से भी अपील की कि वे भी मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए हमारे आंदोलन में साथ दें।

बिहार राज्य आंगनवाड़ी सेविका-सहायिका एवं कर्मचारी संघ के राज्याध्यक्ष श्रीमती सुशीला देवी ने बताया कि शोषण करना एवं शोषण सहना दोनों ही जुर्म है, इस श्रम नीति के परिप्रेक्ष्य में हम सबों का अपने उत्पीड़न के प्रतिकार हेतु एक जुट होना अतिआवश्यक हो गया है। उन्होंने याद दिलाया कि 1988 में यही श्री लालू प्रसाद ने हड़ताली चौक पर बड़े गर्व से कहा था कि यदि मेरी सरकार होती तो इन आंगनवाड़ी सेविका सहायिका एवं कर्मचारियों की समस्या का समाधान चुटकी बजाकर कर देते, किन्तु आज जब खुद इनकी सरकार है तो चुप्पी साधकर बैठ गये हैं। इसलिए आप सभी एकजुट होकर प्रदर्शन में हजारों हजार की संख्या में भाग लेकर इस भ्रष्ट सरकार को अपनी फौलादी ताकत से अगाह कर दें।

बैठक को बिहार राज्य चिकित्साजन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के महामंत्री श्री राधारमण सिन्हा, बिहार राज्य खेत-खलिहान महिला मजदूर संघ के महामंत्री सुश्री अंजू पाण्डेय 'दत्तमयी' श्रीमती कमला सिन्हा बरबीघा, श्रीमती सुनैना देवी तारापुर श्रीमती सरस्वती पाठक जमशेदपुर, श्रीमती शीला सिन्हा मसौढ़ी एवं कुमारी संध्या पाण्डेय सिकन्दरा ने भी सम्बोधित किया।

बिहार राज्य बालिका उच्च विद्यालय शिक्षिका संघ

[शेष पृष्ठ 23 पर]

एल.आई.सी. में महिलाओं के साथ भेद-भाव

[निम्नलिखित पत्र भारतीय जीवन बीमा निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को एल.आई.सी. ब्रांच कार्यालय में चपरासी के पद पर भर्ती के मामले में महिलाओं के साथ भेद-भाव बरते जाने के बारे में है। इस संबंध में अखबार में प्रकाशित विज्ञापन में महिलाओं के प्रति स्पष्ट भेद-भाव बढ़ता गया है। ए.आई.सी.सी.डब्ल्यू.डब्ल्यू. ने इसका विरोध किया व समन्वय समिति की संयोजक, मैथिली शिवरासन ने एल.आई.सी. प्रबंधक को उक्त पत्र लिखा। —संपादक]

प्रिय महोदय,

विषय : तमिलनाडु में एल.आई.सी. के ब्रांच कार्यालय व क्षेत्रीय कार्यालय में चपरासी के पद पर भर्ती।

संदर्भ : 'डेली थांथी' में दिनांक-28.9.92 को प्रकाशित आपका विज्ञापन।

हमें यह जानकर आश्चर्य व दुःख हुआ है कि ऐसे लगभग 527 पदों के लिए केवल पुरुष आवेदन कर सकते हैं। हम इसे भेद-भाव की कार्रवाई मानते हैं। उल्लेखनीय है कि केन्द्र व राज्य सरकारों के प्रतिष्ठान इन पदों के लिए बड़ी संख्या में महिलाओं की भर्ती कर रहे हैं।

ऐसी स्थिति में आपका यह विज्ञापन—"केवल पुरुष आवेदन करें" लिंग के आधार पर भेदभाव है व महिलाओं को संविधान द्वारा प्रदत्त समान अधिकारों से उन्हें वंचित करता है। ये कानूनी अधिकार महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा देने व उन्हें जागरूक बनाने के लिए उन्हें समाज में समान दर्जा देते हैं।

महिला संगठन अखिल भारतीय स्तर पर महिलाओं के लिए अधिक नौकरियों की मांग करते रहे हैं। वे मांग करते रहे हैं कि हर क्षेत्र में व हर स्तर के पद पर महिलाओं को समान अवसर हों चाहे वह काम शारीरिक हो या मानसिक।

यही नहीं, हमें पता चला है कि एल.आई.सी. में चपरासियों के पदों पर केवल दस प्रतिशत नियुक्तियाँ प्रतिपूरक आधार पर होती हैं, वह भी केवल क्षेत्रीय कार्यालयों में। हमारा मानना है कि ये बाधायें तुरन्त दूर की जानी चाहिए।

हम यह मांग नहीं कर रहे हैं कि चपरासी के पद के लिए भर्ती रोक दी जाये। हम केवल यह मांग कर रहे हैं कि इन पदों के लिए महिलाओं के आवेदन भी किए जायें।

हम इस बात पर पुनः बल देना चाहते हैं कि लिंग के आधार पर भेदभाव न केवल गलत है बल्कि गैर कानूनी भी है।

हमें आशा है कि आप हमारे अनुरोध को स्वीकार करेंगे व महिलाओं को उस पद के लिए समान अवसर देंगे। हमारा अनुरोध है कि आप इस बारे में कदम उठायें ताकि कानून के आधार पर महिलाओं को समान अवसर सुनिश्चित किए जा सकें।

सधन्यवाद,

भवदीय

ह०/-

(मैथिली शिवरासन)
संयोजक

(पृष्ठ 22 का शेष)

वरिष्ठ सदस्या श्रीमती शीला शर्मा ने धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कहा कि भारतीय महिला के बारे में यह कहावत सत्य है कि वह समर्पण की भावना से ओतप्रोत है। आज वह परिवार तक ही सीमित न रहकर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपने योगदान को अविस्मरणीय बनाती जा रही है। उदाहरण के तौर पर आज की नारी धरती पर तो कार्यरत है ही और अब तो पायलट बन कर आसमान की ऊंचाई को भी लांघ गयी है। सरकारी कार्यालय में पुरुष के समान नारी भी उच्च पदों पर आसीन है महिला पुरुष वर्ग का सबसे बड़ा सम्बल है। श्रीमती शर्मा ने बताया कि महिलाओं के पिछड़ेपन में पुरुष-मानसिकता भी एक अहम भूमिका निभाती है। हम सबों को एक जुट होकर नारी शक्तियों को जगाना होगा तथा पुरुषमानसिकता में बदलाव लाना होगा तभी महिलाओं की समस्याओं का समाधान संभव है।

[पृष्ठ 2 का शेष]

भी कुछ नहीं कर सकते थे हालांकि वे जानते थे कि जब लाखों की संख्या में कार सेवक व असमाजिक तत्व वहाँ 'जय श्री राम के नारे पर जमा होंगे तो क्या होगा।

6 दिसम्बर की इस जघन्य घटना के बाद कल्याण सिंह ने इस्तीफा दे दिया व एल. के. आडवाणी ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। गैर-भाजपा विपक्ष ने संसद में कोई कामकाज नहीं होने दिया। उन्होंने इन घटनाओं के लिए उचित रूप से प्रधान मंत्री को जिम्मेदार ठहराते हुए उनके इस्तीफे की मांग की। वे यह बहाना बना कर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते थे कि उन्होंने मुख्य मंत्री, भाजपा व विहिप के नेताओं व साधुओं से बात की है तथा उन्होंने वादा किया है कि वे संविधान के अनुसार चलेंगे।

अयोध्या से कार सेवकों द्वारा मस्जिद को ढहाये जाने की खबरें आने के बाद भी वे 7 तारीख तक चुप रहे। इस चुप्पी का प्रधान मंत्री के पास कोई बचाव या न्याय-संगत जवाब नहीं है। 8 दिसम्बर के 'टाइम्स ऑफ इंडिया' ने अपनी संपादकीय टिप्पणी में एल. के. आडवाणी, एम. एम. जोशी व अन्य नेताओं की गिरफ्तारी व सांप्रदायिक संगठनों पर प्रतिबंध जैसे कदमों को 'महत्वपूर्ण संकेत' बताया। हालांकि सरकार को धर्मनिरपेक्ष जनता व पार्टियों का समर्थन प्राप्त था तथा राष्ट्रीय एकता परिषद में भी प्रधान मंत्री को उच्चतम न्यायालय के फैसले के मुताबिक अयोध्या मुद्दे से कड़ाई से निपटने के लिए हरी झंडी दिखा दी गयी थी फिर भी वे सख्ती से कार्रवाई नहीं कर सके। दुर्भाग्यवश, भाजपा व उसके सहयोगियों के प्रति नरमी बरतने के कारण प्रधान मंत्री अनिश्चय का प्रतीक बन गये।

कुछ भी हो, वर्तमान समया में पूरे देश का हित व धर्मनिरपेक्षता दाव पर लगी हुई है। दंगों व गोलीबारी का शिकार आम आदमी, महिलाएं व बच्चे बन रहे हैं जबकि उनका कोई दोष नहीं है। उनके घरों में आग लगायी जा रही है। दोनों समुदायों में सांप्रदायिक भावनायें इस हद तक भड़का दी गयी हैं कि किसी घर या दुकान पर जरा-सा पेट्रोल या तेल ही शेष काम पूरा कर देता है। हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता का कोई निशान नहीं बचा। हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध संघर्ष में जो हिन्दू-मुस्लिम एकता स्थापित की थी, वह दिन-ब-दिन समाप्त होती जा रही है। हालांकि सामान्य स्थिति की बहाली सुनिश्चित करने के लिए संसद कुछ दिन के लिए स्थगित कर दी गयी है, लेकिन भाजपा-विहिप-बजरंग दल का रवैया आक्रामक है। उन्होंने बाबरी मस्जिद को दोबारा न बनाने देने का फैसला किया है तथा गिरफ्तार लोगों की रिहाई की मांग से 'हिन्दुत्व' की भावना भड़कती रहेगी। संक्षेप में बाबरी मस्जिद को ढहाकर उन्होंने जो विश्वसनीयता खोयी है, वे उसे नये नारों से पुनः हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं।

जनता, मजदूर वर्ग और खासतौर पर बहुसंख्यक समाज के मजदूर वर्ग के सामने एक कठिन व चुनौतीपूर्ण कार्य है जिसे उनकी बुर्जुआ सरकार के खिलाफ, जो न अपने वादे निभाती है न निभायेगी, लोकतांत्रिक संघर्ष के माध्यम से एकता सुनिश्चित करनी है। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को एक महत्वपूर्ण कार्य समक्ष कर अपनाना चाहिये।

ऐसी गंभीर परिस्थितियों में धर्म-निरपेक्ष लोगों को एकता मजबूत बनाने के लिए संघर्ष करना होगा। अतः हमारी मांग है कि बाबरी मस्जिद का उसी स्थान पर पुनः निर्माण किया जाये तथा उसे ध्वस्त करने वालों को सजा दी जाये। केन्द्र सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि दंगाग्रस्त क्षेत्रों में पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किये जायें। मामले के महत्व को देखते हुए पुरुषों व महिलाओं को देश की एकता व सम्मान की रक्षा करने के लिए आगे आना चाहिये।

Book Post